उत्तराखण्ड शासन

सामाजार्थिक समीक्षा

कुमाऊँ मण्डल

वर्ष 2013–14

कार्यालय उप निदेशक,
अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल

दूरभाष संख्या – 05946–222465

E – Mail - dd1_stat@yahoo.co.in
ddecostat@gmail.com

क्रम संख्या	विभाग/अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	मण्डल का ऐतिहासिक परिचय/भौगोलिक स्थिति	1—6
2	खनिज सम्पदा	7
3	प्रशासनिक ढाँचा	8—9
4	जनसंख्या विवरण	10—11
5	कृषि	12—15
6	उद्यान	16—17
7	वन	18—20
8	पशुपालन	21—22
9	सहकारिता	23—24
10	सिंचाई	25—26
11	दुग्ध विकास	27
12	मत्स्य विकास	28
13	ग्राम्य विकास	29—35
14	विद्युत	36
15	उद्योग	37—38
16	परिवहन एवं संचार	39—40
17	बैंकिग सेवायें	41
18	शिक्षा	42—44
19	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	45
20	जल सम्पूर्ति	46
21	पर्यटन	47—53
22	सेवायोजन	54
23	निर्बल वर्ग विकास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम	55—65
24	शान्ति एवं कानून व्यवस्था	66
25	मण्डल की प्रमुख समस्याएं/सुझाव	67—69

अध्याय – 1

मण्डल का ऐतिहासिक परिचय/भौगोलिक स्थिति

प्राकृतिक सौन्दर्य, सुरम्य घाटियों तथा धार्मिक व पौराणिक स्थलों से सुशोभित कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड प्रदेश की उत्तरी सीमा में स्थित है। उत्तर दिशा में तिब्बत, पूर्व दिशा में नेपाल की सीमायें, पश्चिम दिशा में चमोली, पौड़ी गढ़वाल तथा बिजनौर जनपद की सीमायें तथा दक्षिण दिशा में उ0प्र0 के जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत की सीमायें हैं। भौगोलिक दृष्टि से मण्डल 28′7° से 30° उत्तरी अक्षांश तथा 78′7°से 81′1° पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। कुमायूँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21034 वर्ग किमी0 है, जो उत्तराखण्ड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33 प्रतिशत है।

कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कुल 6 जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा चम्पावत हैं। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। जनपद चम्पावत के तीन विकास खण्ड लोहाघाट, पाटी एवं बाराकोट पूर्ण पर्वतीय तथा विकास खण्ड चम्पावत का कुछ क्षेत्र मैदानी है। जनपद नैनीताल में 6 विकास खण्ड पर्वतीय क्षेत्र तथा 2 विकास खण्ड हल्द्वानी तथा रामनगर भावर क्षेत्र में आते है। ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र है।

मैदानी भाग भावर व तराई क्षेत्र में विभाजित है। पर्वतीय क्षेत्र के बाद तुरन्त ही एक पट्टी ऐसी पाई जाती है जहाँ पर्वतों के नीचे उतरने वाली नदियों ने बहुत दूर तक छोटे–बड़े शिलाखण्ड लाकर एकत्र कर दिये है। इस क्षेत्र में अधिक वन पाये जाते है। यहाँ भूमिगत जल का अभाव है। लगभग 50–60 मीटर गहराई तक भी जल प्रायः नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से विकास खण्ड हल्द्वानी, कोटाबाग तथा रामनगर आते है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। जहाँ भूमिगत जल प्रायः 10 मीटर की गहराई तक उपलब्ध हो जाता है। यह भाग उत्तर प्रदेश के रूहेलखण्ड तथा मुरादाबाद मण्डलों के मैदानी क्षेत्र से लगा है।

तराई क्षेत्र पूर्व में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा से लेकर पश्चिम में विकास खण्ड जसपुर तक फैला है। इनमें ऊधमसिंहनगर के समस्त सात विकास खण्ड सम्मिलित है। यह भाग सामान्य उतार–चढ़ाव के साथ दक्षिण पूर्व की ओर ढ़ला हुआ है, जो उत्तम प्रकार की दोमट मिट्टी से भरपूर है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की

चट्टानें या कंकरीली भूमि नहीं पायी जाती है। मण्डल मुख्यालय नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र में ऊँची पर्वत श्रेणियाँ तथा घाटियाँ हैं। पर्वत श्रेणियों की अधिकतम ऊँचाई 26 हजार फुट तक है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां पंचाचूली एवं त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात है। इस क्षेत्र में समतल भूमि बहुत कम है, जिसके कारण आवागमन में विशेष रूप से कठिनाई आती है। पर्वतीय क्षेत्र में भूमिगत जल प्रायः नगण्य है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिये बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यह क्षेत्र वनों से आच्छादित है। केवल जनपद नैनीताल का भावर क्षेत्र तथा ऊधमसिंह नगर विकास की अग्रिम पंक्ति में है।

नैनीताल :– अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल नैनीताल जनपद में छोटे–बड़े अनेक ताल है, किन्तु सर्वाधिक प्रसिद्धि नैनीताल नगर में स्थित नैनीताल सरोवर ने प्राप्त की है।

नीलमणी के नयनाभिराम ताल की सजग प्रहरियों के समान घिरे हुए सात पर्वतों से बनी रमणिक घाटी में नैनीताल बसा है। नैनीताल नगर का यह ताल कब और कैसे अस्तित्व में आया, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं स्कन्द पुराण के अनुसार किसी समय अत्रि, पुलस्य और पुलक नामक तीन ऋषि इस स्थान पर तपस्या किया करते थे। उन्होनें ही योगबल से इस सरोवर और स्थान का नाम त्रिरेश्वर रखा, परन्तु यह नाम न जाने कब लुप्त हो गया और "नैनीताल कहा जाने लगा"। नैनीताल शहर वर्ष 1841 में बसने लगा। इसके पहले यहॉ जंगल था। नैना देवी के मन्दिर में मेला लगता था। सन् 1841 में मिस्टर बैरन ने इसे देखा। उससे पहले कुमाऊॅ के दूसरे कमिश्नर मिस्टर ट्रेल ने भी देखा था। बैरन साहब ने ''हिम्मला'' नामक पुस्तक में लिखा है कि वहॉ के थोकदार नरसिंह, नैनीताल को पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, परन्तु मि0 ट्रेल ने नरसिंह को नाव में बैठाकर ताल में डुबाने की धमकी देकर नोटबुक में दस्तखत करा लिये। बाद में थोकदार नरसिंह पॉच रूपये मासिक वेतन पर नैनीताल के पटवारी बना दिये गये। नैनीताल देश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ बारह महीने पर्यटको की आवाजाही रहती है।

अल्मोड़ा :– जनपद अल्मोड़ा प्राचीन शहरों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। ब्रिटिश

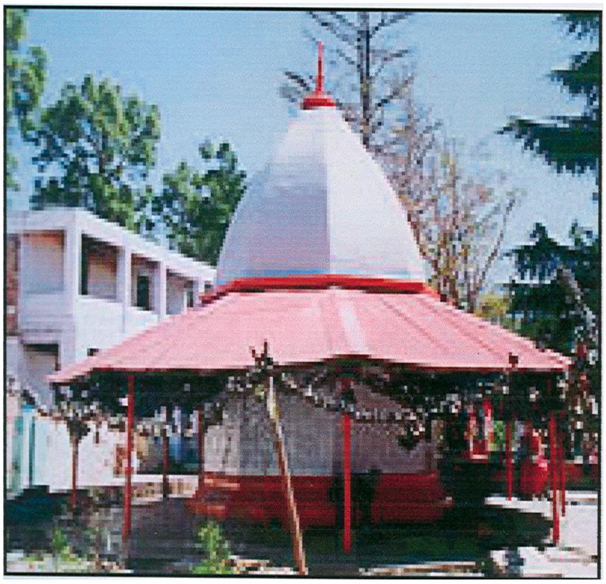

काल में यह जनपद एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला था, जिसके अर्न्तगत वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर जनपद थे। ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा में कुमाऊॅ कमिश्नरी का मुख्यालय था। कालान्तर में कुमाऊॅ मण्डल की कमिश्नरी, जनपद नैनीताल स्थानान्तरित कर दी गयी। पॉच किमी. लम्बी पहाड़ी पर बसा अल्मोड़ा नगर चन्द राजाओं के शासन के बाद गोरखाओं के आधिपत्य में रहा, बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया।

अल्मोड़ा अपनी बौद्धिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। प्राकृतिक वातावरण, हिमालय दर्शन के आकर्षण से स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गॉधी, पंडित नेहरू, लोहिया आदि राष्ट्रीय व्यक्तित्व यहॉ आये थे। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग से ग्लेशियरों तक पहुॅचने वाले साहसी पर्यटकों के लिए अल्मोड़ा प्रारम्भिक पड़ाव है। ताम्र बर्तनों के पुश्तैनी व्यवसाय में कलश, परात, थाली और वाटर फिल्टर जैसी नवीन दस्तकारी में अल्मोड़ा अपनी पकड़ बनाये हुए है।

बागेश्वर :– जनपद बागेश्वर धार्मिक ही नहीं राष्ट्रीय तथा स्वराज आन्दोलन का भी केन्द्र रहा है। सन् 1921 में ब्राह्मण क्लब चामी के बुलावे पर राष्ट्रीय नेता श्री हरगोविन्द पन्त, श्री चिरंजीलाल तथा श्री बद्रीदत्त पाण्डेय बागेश्वर पहुंचे तथा सरयू नदी के तट पर कुली उतार आन्दोलन आरम्भ किया। राष्ट्र भक्त विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा स्वराज मन्दिर की नींव डाली गयी। सन् 1933 में देश भक्त मोहन जोशी के नेतृत्व में जबरदस्त स्वदेशी प्रदर्शनी हुई। बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर तथा गरूड़ में बैजनाथ मन्दिर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देश–विदेश से लाखों की संख्या में लोग इन मन्दिरों के दर्शन तथा इनका ऐतिहासिक महत्व जानने के लिये आते है। बैजनाथ के समीप ही तैलीहाट है, जहाँ कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ अभी भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के मन्दिरों का समूह विद्यमान है। बागेश्वर में पावन सरयू, गोमती एवं अदृश्य भागीरथी

नदी के संगम पर बागनाथ मन्दिर है। बताते है कि चन्दवंश के राजा लक्ष्मी चन्द द्वारा 1602 ई0 में पुनर्निर्माण के पश्चात् भगवान बागनाथ का भव्य मन्दिर बनाया गया । इस मन्दिर में सातवीं शताब्दीं से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर परिसर में ही अन्य देवी–देवताओं के अलग–अलग मन्दिर है। प्रतिवर्ष माह जनवरी में मकर संक्रान्ति को यहाँ भव्य मेला लगता है। जो उत्तरायणी नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन देश–विदेश के हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर भगवान बागनाथ के दर्शन करते हैं तथा एक सप्ताह तक व्यवसायिक, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है।

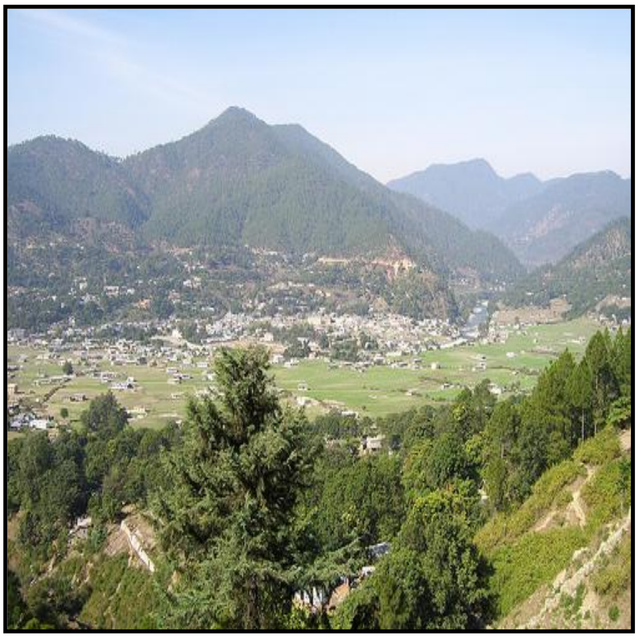

ऊधमसिंहनगर :– जनपद ऊधमसिंह नगर का सृजन सितम्बर, 1995 को जनपद नैनीताल के तराई सम्भाग को अलग कर किया गया । इतिहासकारों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भगवान रूद्र के किसी भक्त या रूद्र नाम के किसी हिन्दू कबीले के मुखिया द्वारा बसाया गया। रूद्रपुर गाँव आज भौतिक विकास की पगडंडियों से चलकर विशाल रूद्रपुर नगर का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। जनपद ऊधमसिंहनगर का मुख्यालय बन जाने से रूद्रपुर का महत्व और बढ़ गया है। काशीपुर का औद्योगिकीकरण बहुत पहले हो चुका है। हाल के उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद रूद्रपुर तथा सितारगंज के सिडकुल क्षेत्र में औद्योगिकीकरण से जिला ऊद्यम सिंह नगर औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी जनपद की श्रेणी में आ चुका है।

ब्रिटिश काल में 1861 में नैनीताल जनपद बन जाने के साथ ही 1864–65 में सम्पूर्ण तराई व भावर को "तराई व भावर गवर्नमेन्ट एक्ट" घोषित कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन हो गया। देश के विभाजन के तुरन्त बाद शरणार्थी समस्या विकराल रूप में उपस्थित हुई । बड़ी संख्या में देश के पश्चिमोत्तर व पूर्वी क्षेत्र से आये शरणार्थियों को तराई के मध्य 35 किमी0 परिक्षेत्र में 164.2 वर्ग मील भू क्षेत्र पर उप निवेश योजना के अर्न्तगत पुर्नवासित किया गया। व्यक्तिगत आवासियों को क्राउन ग्रान्ट एक्ट के आधार पर भूमि आवंटित की गई। शरणार्थियों का पहला जत्था दिसम्बर 1948 में पहुँचा।

कश्मीर, पंजाब, केरल, पूर्वी उ0प्र0, गढ़वाल, कुमायूँ, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल और तमिलनाडू से लेकर भारत मूल के वर्मा प्रजातियों का समूह तराई में बसा है जो विभिन्न पेशों, धर्मों और जाति समूह के लोगों से मिलकर बना है। तराई का यह कोलोनाईजेशन क्षेत्र है और उसी का हृदय है, रूद्रपुर। इसीलिए 20–25 वर्ष पूर्व तराई को मिनी "हिन्दुस्तान" उपनाम से सम्बोधित किया था। जनपद ऊधमसिंह नगर कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में मण्डल/प्रदेश में अग्रिम पंक्ति पर है।

पिथौरागढ़ :– जनपद पिथौरागढ़ हिमालय की गोद में बसा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से

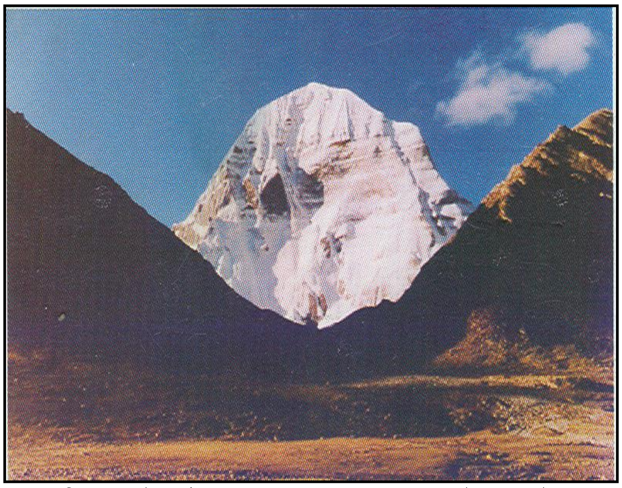

लगा है। जनपद की उत्तरी तथा पूर्वी सीमायें क्रमशः तिब्बत तथा नेपाल से लगती है। उत्तरी सीमा पर गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरिमाल एक अभेद्य दीवार सी खड़ी है, जिसमें पंचाचूली और त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये विख्यात है। पर्वतारोहियों के लिए यह शिखर विशेष आकर्षक रहे हैं। त्रिशूल शिखर के नीचे स्थित मिलम ग्लैशियर सैलानियों को आकर्षित करता है। सुदूर मध्य हिमालय की दुर्गम बर्फीली चोटियों को अपने मस्तक पर धारण किये हुए है।

चम्पावत :– जनपद चम्पावत का सृजन सितम्बर, 1997 को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत तथा जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड खटीमा के 35 राजस्व ग्राम एवं जनगणना ग्राम वनवसा तथा नगर पालिका परिषद टनकपुर को सम्मिलित कर किया गया है।

जनपद चम्पावत पर्वतों एवं घाटियों का क्षेत्र हैं। यहाँ पर्वत श्रृंखलायें दक्षिण से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है। इन पर्वत मालाओं के मध्य कहीं–कहीं सुन्दर घाटियाँ भी हैं, जिनमें चम्पावत से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है।

जनपद चम्पावत में चम्पावत, खेतीखान, देवीधूरा, मायावती आश्रम, श्यामलाताल, लोहाघाट एवं पंचेश्वर आदि अति सुन्दर एवं आकर्षक है। प्रमुख धार्मिक स्थल में पूर्णागिरी धाम जनपद चम्पावत के भूभाग में स्थित है। जनपद के विकास खण्ड चम्पावत में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल रीठा साहिब स्थित है। मॉ बाराही मंदिर देवीधुरा में रक्षा बन्धन के दिन होने वाला बग्वाल मेला जिसे देखने लाखों लोग आते है, जो जिला चम्पावत में ही स्थित है। जिला चम्पावत प्राकृतिक सौन्दर्य का धनी है।

जनपद में प्रमुख मंदिर बालेश्वर, गुरू गोरखनाथ, गोलू देवता का जन्म स्थान गौरेलचौड़, मानेश्वर, रिखेश्वर आदि है जिसमें समय–समय पर मेले आदि लगते है। जनपद मुख्यालय के समीप निर्मित एक हथिया नौले के सम्बन्ध में कहा जाता है इस नौलें का निर्माण एक ऐसे कारीगर द्वारा किया गया था जिसके पास एक ही हाथ था इसलिए उसको एक हथिया नौला कहा जाता है।

अध्याय – 2
खनिज सम्पदा

कुमायूँ मण्डल खनिज सम्पदा का परम्परागत इतिहास रहा है। यहाँ के स्थाई निवासी परम्परागत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह, ताँबा, स्वर्ण सीसा तथा चूना पत्थर, मिट्‌टी आदि का उत्खनन एवं शुद्धिकरण किया करते थे। औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली शिलाजीत एवं अभ्रक का शुद्धिकरण भी यहाँ प्राचीनकाल से किया जाता रहा हैं।

इस मण्डल में खनिज के रूप में चूने का पत्थर, खड़िया, डोलामाइट, कायनाईट, यूरेनाईट, पाइराइट व मैग्नासाइड आदि पाया जाता है, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा इसका निर्यात भी होता है। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, रेता, गिट बोल्डर आदि भी व्यवसायिक स्तर पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कच्चा लोहा, ताँबा तथा जिप्सम आदि भी बहुत थोड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, किन्तु इनका व्यवसायिक रूप से उपयोग अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। जनपद बागेश्वर में झिरोली नामक स्थान पर मैग्नेसाइट का एक कारखाना स्थापित है। झिरोली स्थित मैग्नासाइट खदान से भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर आदि इस्पात संयंत्रों को मैग्नेसाइट की आपूर्ति की जाती है।

खड़िया जो व्यवसायिक क्षेत्र में सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण खनिज है। मण्डल में खड़िया के वृहद भण्डार है। खड़िया जखेड़ा, हरपा, बिरखल, सुराग, कर्मी, चौड़ास्थल, लोहारखेत, लीती, चिंडग, तुपेड़, चौरा, रीमा, विजयपुर, काण्डा आदि जगहों पर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। कुमायूॅ मण्डल के पर्वतीय भाग में खनिज पदार्थो के उत्खनन तथा उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नया आयाम दिया जा सकता है।

अध्याय – 3

प्रशासनिक ढाँचा

भौगोलिक दृष्टि से कुमायूँ मण्डल में 6 जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर व चम्पावत सम्मिलित है , जिनमें 39 तहसील, 5 उपतहसील एवं 41 विकास खण्ड है। मण्डल में 3 नगर निगम, 14 नगर पालिका परिषद, 3 छावनी क्षेत्र, 16 नगर पंचायत तथा 10 सेन्सस टाऊन हैं। मण्डल मुख्यालय नैनीताल में है। जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल में कुल 7466 ग्राम है, जिनमें से 285 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम एवं 118 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6922 आबाद ग्राम हैं। जनगणना 2011 के उपरान्त पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं जनपद चम्पावत के कुछ ग्राम नगर क्षेत्र में स्थानान्तरित होने के कारण 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार मण्डल में कुल ग्रामों की संख्या 7429 है। जिसमें से 285 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम, 118 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6885 आबाद ग्राम हैं। न्याय पंचायतें 289 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 3489 है। मण्डल में पुलिस स्टेशनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 24 व नगरीय क्षेत्र में 32 हैं।

मण्डल की मुख्य प्रशासनिक इकाईयॉ

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
1.	अल्मोड़ा	1. अल्मोड़ा	1. भैसियाछाना 2. लमगड़ा (आंशिक) 3. धौलादेवी (आंशिक) 4. हवालबाग (आंशिक) 5. ताकुला (आंशिक)
		2. भनोली	1. धौलादेवी (आंशिक) 2. लमगड़ा (आंशिक)
		3. सोमेश्वर	1. ताकुला (आंशिक) 2. हवालबाग (आंशिक)
		4. भिक्यासैंण	1. भिक्यासैंण (आंशिक) 2. स्याल्दे (आंशिक) 3. सल्ट (आंशिक)
		5. रानीखेत	1. ताड़ीखेत 2. द्वाराहाट (आंशिक)
		6. चौखुटिया	1. चौखुटिया
		7. द्वाराहाट	1. द्वाराहाट (आंशिक) 2. भिक्यासैंण (आंशिक)
		8. सल्ट	1. सल्ट (आंशिक) 2. स्याल्दे (आंशिक)
		9. जयन्ती	1. लमगड़ा (आंशिक)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
2.	बागेश्वर	1. कपकोट	1. कपकोट (आंशिक)
		2. गरूड़	1. गरूड़–बैजनाथ
		3. बागेश्वर	1. बागेश्वर (आंशिक)
		4. काण्डा	1.बागेश्वर (आंशिक) 2.कपकोट (आंशिक)
		5.दुग नाकुरी	1.बागेश्वर (आंशिक) 2.कपकोट (आंशिक)
3.	नैनीताल	1. नैनीताल	1. भीमताल 2. रामगढ़(आंशिक) 3. कोटाबाग(आंशिक)
		2. कालाढूँगी	1.कोटाबाग(आंशिक)
		3. कोश्याकुटोली	1. रामगढ़(आंशिक) 2. बेतालघाट(आंशिक)
		4. धारी	1. धारी 2. ओखलकांडा
		5. बेतालघाट	1. बेतालघाट(आंशिक)
		6. हल्द्वानी	1. हल्द्वानी(आंशिक)
		7. लालकुऑ	1. हल्द्वानी(आंशिक)
		8. रामनगर	1. रामनगर
4.	ऊधमसिंहनगर	1. काशीपुर	1. काशीपुर
		2. जसपुर	1. जसपुर
		3. बाजपुर	1. बाजपुर
		4. किच्छा	1. रूद्रपुर
		5. गदरपुर	1. गदरपुर
		6. खटीमा	1. खटीमा
		7. सितारगंज	1. सितारगंज
5.	पिथौरागढ़	1. डीडीहाट	1. कनालीछीना 2. डीडीहाट (आंशिक)
		2. बेरीनाग	1. बेरीनाग 2. डीडीहाट (आंशिक)
		3. धारचूला	1. धारचूला
		4. पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़(विण) 2. मूनाकोट
		5. गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट
		6. मुनस्यारी	1. मुनस्यारी
6.	चम्पावत	1. चम्पावत	1. चम्पावत(आंशिक)
		2. श्री पूर्णागिरी	1. चम्पावत(आंशिक)
		3. लोहाघाट	1. लोहाघाट 2. बाराकोट
		4. पाटी	1. पाटी

अध्याय – 4

जनसंख्या वितरण

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 10086292 में से कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या 4228998 है। कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 41.93 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल के जनपदों की जनसंख्या निम्न प्रकार है :

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी0)	कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)	साक्षरता प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	पिथौरागढ़	7090	483439	239306	244133	68	1020	82.25
2	बागेश्वर	2246	259898	124326	135572	116	1090	80.01
3	अल्मोड़ा	3139	622506	291081	331425	198	1139	80.47
4	चम्पावत	1766	259648	131125	128523	147	980	79.83
5	नैनीताल	4251	954605	493666	460939	225	934	83.88
6	ऊधमसिंहनगर	2542	1648902	858783	790119	649	920	73.10
योग मण्डल		**21034**	**4228998**	**2138287**	**2090711**	**201**	**978**	**78.52**

कुमायूँ मण्डल में क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ तथा जनसंख्या की दृष्टि से ऊधमसिंहनगर सबसे बड़ा जनपद है। मण्डल में सबसे कम क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला जनपद चम्पावत है। ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, जबकि जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, मण्डल के जनपदों में जनपद ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तथा जनपद पिथौरागढ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मण्डल का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है तथा उत्तराखण्ड की जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायूॅ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। जनपद पिथौरागढ़ में 82.25%, अल्मोड़ा में 80.47%, नैनीताल में 83.88%, बागेश्वर में 80.01%, चम्पावत में 79.83% तथा उधमसिंह नगर में 73.10% व्यक्ति साक्षर हैं।

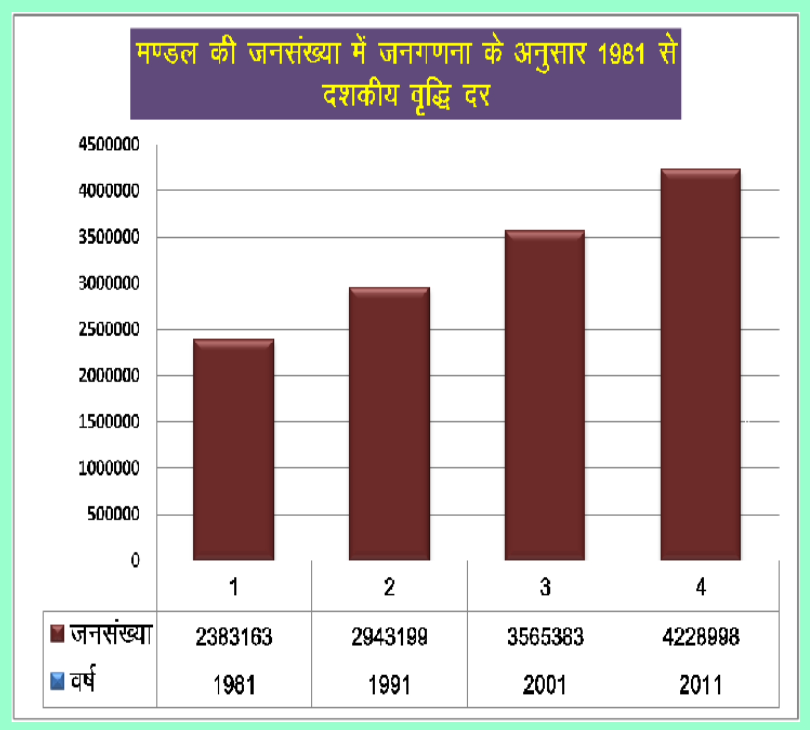

जनगणना 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में 1000 हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 978 है, जबकि उत्तराखण्ड में 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 963 है। कुमाऊ मण्डल के पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ में 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1020, अल्मोड़ा में 1139, बागेश्वर में 1090, चम्पावत में 980, नैनीताल में 934 तथा ऊधमसिंह नगर में 920 है। पर्वतीय भू–भाग में निवास कर रहे अधिकांश पुरूष सेना में सेवारत रहने के कारण बाहर है तथा इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के साधनों की कमी के कारण रोजगार की तलाश में पर्वतीय क्षेत्र में निवास कर रहे पुरूष मैदानी भागों में रोजगार के लिये बाहर रहते है, जिस कारण पूर्णतः पर्वतीय जनपद अल्मोड़ा,बागेश्वर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि मैदानी भाग में कम है।

कुमाऊॅ मण्डल में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण जनगणना 2011 के अनुसार मुख्य कर्मकरों में कृषक 40.60%, कृषि श्रमिक 11.19%, पारिवारिक उद्योग 2.59% तथा अन्य कर्मकर 45.62%, पाये गये। इस प्रकार मुख्य कर्मकर 1234528 व सीमान्त कर्मकर 471016 को सम्मिलित करते हुए, कुल कर्मकरों की संख्या 1705544 है।

अध्याय – 5

कृषि

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में कुल कर्मकरों में से 44 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आश्रित है। यह अनुपात जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत के लिये क्रमशः 69.62, 68.85, 36.56, 20.74, 63.44 तथा 60.25 प्रतिशत है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मण्डल में अर्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग कृषि है परन्तु जिला ऊधमसिंह नगर में सम्पूर्ण भाग तथा जिला नैनीताल के मैदानी भाग को छोड़कर पर्वतीय भाग में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है।

खेत छोटे–छोटे तथा छिटके है, जिस कारण कृषि से बहुत कम आय अर्जित होती है। अतः कृषि विधिकरण योजना के अन्तर्गत कृषकों को व्यवसायिक फसलों/गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सहायतित त्वरित सिंचाई लाभ योजना से असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला योजना में पौध सुरक्षा कार्यक्रम, कृषि यंत्रों की योजना तथा उन्नत कृषि तकनीक हस्तान्तरण की योजनाओं से कृषि को लाभकारी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सहायतित योजना माईक्रोमोड योजना में धान्य विकास, दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कृषि यंत्रों का वितरण की योजना संचालित हैं।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2013–14 में उर्वरक का उपभोग (मै0टन में) निम्नानुसार रहा :–

क्रम संख्या	जनपद का नाम	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाश	योग
1	पिथौरागढ़	157.85	44.35	12.29	**214.49**
2	अल्मोड़ा	145.47	50.02	18.01	**213.50**
3	नैनीताल	6030.00	1532.00	478.00	**8040.00**
4	ऊधमसिंह नगर	64742.00	11072.00	4069.00	**79883.00**
5	बागेश्वर	138.04	55.58	16.78	**210.40**
6	चम्पावत	414.19	82.41	24.28	**520.88**
योग मण्डल		**71627.6**	**12836.4**	**4618.36**	**89082.27**

कुमायॅू मण्डल में सकल बोये गये क्षेत्रफल वर्ष 2012–13, 599797 हैक्टेयर के आधार पर में उर्वरक का उपयोग प्रति है0 0.15 मै0टन है। सर्वाधिक प्रति है0 0.30 मै0टन उर्वरक का उपयोग जिला ऊद्यम सिंह नगर में तथा सबसे कम प्रति है0 0.0038 मै0टन उर्वरक का उपयोग जिला पिथौरागढ़ में हैं। जनपद ऊधमसिंह नगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी होने के कारण अधिकांश भाग में कृषि होती है। अतः ऊधमसिंह नगर में उर्वरक का उपभोग सर्वाधिक है। पर्वतीय सम्भाग में अधिकांश भूमि असिचित होने के कारण उर्वरक का उपयोग कम है।

कृषि जोतों का आकार :–

कृषि गणना 2010–11 के अनुसार कुमायॅू मण्डल के जनपदों में भूमि जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल हैक्टेयर में निम्न प्रकार है :–

मण्डल / जनपद	0.5 है0 से कम		0.5 से 1.0 है0		1.0 से 2.0 है0	
	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)
1	2	3	4	5	6	7
पिथौरागढ़	45971	12706.66	24603	16976.05	7881	10669.42
अल्मोड़ा	43532	12887.57	38511	27853.65	22451	30576.95
नैनीताल	21987	6670.77	12247	9804.73	9637	14450.52
ऊधमसिंहनगर	44014	9628.00	20523	14355.96	20213	27664.95
बागेश्वर	34858	8507.46	13998	9426.99	4479	5742.04
चम्पावत	15848	5122.47	11542	8566.41	6517	9381.81
योग मण्डल	**206210**	**55522.93**	**121424**	**86983.79**	**71178**	**98485.69**

मण्डल / जनपद	2.0 है0 से 4.0 कम		4.0 से 10.0 है0		10.0 तथा उससे अधिक		कुल जोतों की संख्या	
	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)
	8	9	10	11	12	13	14	15
पिथौरागढ़	1335	3369.67	55	277.48	1	18.25	79846	44017.53
अल्मोड़ा	4570	11578.28	201	1000.16	3	48.31	109268	83944.92
नैनीताल	5069	13774.98	1556	8709.17	167	2484.22	50663	55894.39
ऊधमसिंहनगर	14804	40490.99	6793	37804.70	512	15899.19	106859	145843.79
बागेश्वर	503	1269.69	30	144.27	1	12.44	53869	25102.89
चम्पावत	2113	5803.24	244	1226.13	10	165.89	36274	30265.95
योग मण्डल	**28394**	**76286.85**	**8879**	**49161.91**	**694**	**18628.30**	**436779**	**385069.47**

जहॉ तक जोतों के आकार का प्रश्न है, पर्वतीय भू–भाग में एक ओर तो जोतें छोटी है दूसरी ओर जोत के अर्न्तगत आने वाले खेत भी छोटे–छोटे व ढालदार हैं।

कृषि गणना वर्ष 2010–11 के अनुसार मण्डल की लगभग 75.01 प्रतिशत जोतों का आकार एक है0 से कम है। लगभग 16.30 प्रतिशत जोतों का आकार एक से दो है0 के बीच, 8.53 प्रतिशत जोतों का आकार दो है0 से दस है0 के बीच तथा 0.16 प्रतिशत जोतों का आकार दस है0 से ऊपर है। मण्डल की भॉति जनपदों में भी जोतों के वितरण की लगभग यही स्थिति है।

उक्त के अलावा एक है0 तक की जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल मात्र 37.01 प्रतिशत क्षेत्र हैं जबकि 25.57 प्रतिशत क्षेत्र एक से दो है0 क्षेत्रफल वाली जोतों के बीच है, 32.58 प्रतिशत क्षेत्र दो से दस है0 तक की जोतों, एवं शेष 4.84 प्रतिशत दस है0 से अधिक जोतों के अन्तर्गत हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रदेश के सबसे बड़े निजी कृषि फार्म (प्राग फार्म) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के फार्म (कृषि विश्व विद्यालय, सितारगंज जेल, हेमपुर का आर्मी फार्म) स्थित है।

भूमि उपयोगिता

भूमि उपयोगिता वर्ष 2012–13 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में से सकल बोया गया क्षेत्रफल 29.83 प्रतिशत है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मण्डल का 53.87 प्रतिशत वन क्षेत्र है। मण्डल के भीतर कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में से सकल बोये गये क्षेत्र का अनुपात सबसे कम 11.67 प्रतिशत जनपद चम्पावत में है, अधिकतम जनपद ऊधमसिंहनगर में 92.95 प्रतिशत है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल तथा बागेश्वर में क्रमशः 25.64%, 17.85%, 18.13% तथा 19.95% है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण हेतु कम से कम 66% क्षेत्रफल वनाच्छादित होना चाहिये अतः वनों के सघनीकरण तथा विस्तार की नितान्त आवश्यकता है।

शृद्ध सिंचित क्षेत्रफल का बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत में ऊधमसिंह नगर 99.28 प्रतिशत, नैनीताल 62.83 प्रतिशत तथा बागेश्वर में 21.18 प्रतिशत है। शेष जनपदों में सिंचित क्षेत्रफल पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति के कारण बहुत कम है जिसे बढाने का प्रयास किया जा रहा है।

कृषि ऋण योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में बैंको द्वारा कुल वर्ष 2013–14 में 117987 कृषकों को रू0 879939.01 लाख धनराशि वितरित की गयी। जनपद अल्मोडा में 4449 कृषकों को रू0 2859.50 लाख, जनपद बागेश्वर में 3417 कृषकों को रू0 1132.79 लाख, जनपद पिथौरागढ में 4952 कृषकों को रू0 1878.00 लाख, जनपद चम्पावत में 3084 कृषकों को रू0 1296.72 लाख, जनपद नैनीताल में 22801 कृषकों को रू0 30183.00 लाख, जनपद ऊधमसिंह नगर में 79284 कृषकों को रू0 842589.00 लाख का कृषि ऋण वितरित किया गया।

अध्याय – 6

उद्यान

कुमाऊँ मण्डल का अधिकाँश भाग पर्वतीय है। कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण मण्डल उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिकीकरण की मुख्य समस्या समीपस्थ क्रय केन्द्रों का न होना है जिससे उद्योगपतियों को अपना उत्पादन बिक्री हेतु काफी दूर ले जाना पड़ता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार मण्डल की जलवायु फल, सब्जी, आलू एवं मसाला फसलों के उत्पादन हेतु उपर्युक्त है। मण्डल में औद्यानिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उद्यान सचल दल केन्द्र तथा राजकीय पौधशाला स्थापित किये गये हैं। मण्डल में वर्ष 2013–14 में 261897.50 मैट्रिक टन आलू का उत्पादन किया गया है।

फलों के उत्पादन में मुख्य रूप से आम, लीची, सेब, नाशपाती, आड़ू, पुलम, अखरोट, माल्टा ,सन्तरा, कागजी नीबू आदि तथा सब्जी के उत्पादन में मुख्य रूप से मटर, मूली, बन्दगोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च ,भिंडी, प्याज, टमाटर, बैंगन आदि का उत्पादन किया जाता है। बेमौसमी सब्जी उत्पादन में कृषकों का रूझान बढ़ रहा है।

मण्डल के अर्न्तगत वर्ष 2013–2014 में जनपदवार कुल उद्यानों की संख्या, उद्यान रक्षा सचल दल केन्द्रों की संख्या, फल संरक्षण केन्द्रों की संख्या तथा कुल नर्सरियों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल उद्यानों की संख्या (राजकीय)	कुल नर्सरियों की संख्या	उद्यान रक्षासचल दल केन्द्रों की सं0	फल संरक्षण केन्द्रों की संख्या
1	पिथौरागढ़	7	5	24	3
2	अल्मोड़ा	2	7	34	6
3	नैनीताल	6	6	29	6
4	ऊधमसिंहनगर	4	4	14	3
5	बागेश्वर	0	2	10	1
6	चम्पावत	6	5	12	3
योग मण्डल		25	29	123	22

मण्डल के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 में जनपदवार फल, सब्जी तथा आलू का क्षेत्रफल, उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार रहा है :–

उत्पादन– मै0 टन , क्षेत्रफल –है0

क्र0 सं0	जनपद	फल		सब्जी		आलू	
		क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1	पिथौरागढ़	15714.00	41080.00	4960.00	60505.00	1750.00	46500.00
2	अल्मोड़ा	24120.00	175735.00	4389.00	43658.00	2508.00	53846.00
3	नैनीताल	25560.00	112563.00	8846.00	84905.00	2526.00	56558.00
4	ऊधमसिंह नगर	6983.00	48416.00	7150.00	86609.00	2714.00	57366.00
5	बागेश्वर	3561.12	10374.30	1576.75	9405.35	349.00	11082.50
6	चम्पावत	11114.00	75803.00	3757.00	27740.00	2521.00	36545.00
योग मण्डल		**87052.12**	**463971.30**	**30678.75**	**312822.35**	**12368.00**	**261897.50**

<u>हार्टीकलचर टैक्नौलोजी मिशन</u> – औधानिक विकास की समस्याओं को देखेते हुए वर्ष 2004–05 से औधानिक विकास को द्रुतगति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा हाल्टीकल्चर टैक्नोलौजी मिशन योजना आरम्भ की गयी। यह एक केन्द्र पेाषित योजना है। हाल्टीकल्चर टैक्नोलौजी मिशन योजना के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 में जनपद अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर तथा पिथौरागढ में क्रमशः 160.48, 80.75, 64.61, 317.54, 283.27 तथा 46.23 लाख रू0 के सापेक्ष 50.46, 71.07, 64.61, 230.96, 174.88 तथा 41.25 व्यय किया गया। इसके अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण देकर औद्यानीकरण के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना में पुष्पउत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उद्यान विभाग द्वारा जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट में इण्डोडच मशरूम परियोजना में मशरूम उत्पादन तथा मशरूम हेतु कम्पोस्ट निर्माण का कार्य किया जाता है। साथ ही बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 काश्तकारों को मानक के अनुसार कम्पोस्ट आदि ढुलान पर राज सहायता उपलब्ध करायी जाती है। राजकीय उद्यान चौबटिया, अल्मोड़ा में माली प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे स्वतः रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलता है।

अध्याय – 7

वन

कुमायॅू मण्डल में अधिकांश क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं। भूमि उपयोग के आंकड़े वर्ष 2012–13 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 61.43 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत हैं। कुमायॅू मण्डल में 53.87 प्रतिशत क्षेत्र तथा गढवाल मण्डल में 65.58 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में से सर्वाधिक 73.47 प्रतिशत जिला नैनीताल तथा सबसे कम 35.15 प्रतिशत जिला ऊधमसिंह नगर वन क्षेत्र के अन्तर्गत है। पिथौराढ़ में 49.84 प्रतिशत, बागेश्वर में 52.99 प्रतिशत, अल्मोड़ा में 50.80 प्रतिशत तथा चम्पावत में 56.74 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत हैं। पर्वतीय क्षेत्र के संरक्षण हेतु कम से कम 66 प्रतिशत क्षेत्रफल में वनों का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से वनों के सघनीकरण एवं विस्तार की नितान्त आवश्यकता है।

वन उत्पादन :– पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस्म के वृक्ष पाये जाते हैं, जिसमें चीड़, बाज, देवदार, तुन, बुरूश, काफल, अयारपांगर आदि प्रमुख हैं। भाबर क्षेत्र में साल, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस, पापुलर, सेमल, गुटेर एवं बाकुली की प्रजातियों के वृक्ष प्रमुख हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा निकाल कर इसका निर्यात व्यापक रूप से होता है। लीसा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जिससे तारपीन का तेल व विरोजा तैयार किया जाता है इसके अतिरिक्त चीड़ की लकड़ी गृह निर्माण, फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। बांज की पत्तियां पशुचारा के रूप में प्रयुक्त होती है तथा लकड़ी से कोयला बनाया जाता है। बांज का वृक्ष जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर की लकड़ी कत्था उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साल, शीशम एवं सागौन, चीड़, देवदार इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होते है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले वृक्षो का अधिकांश भाग मण्डल से बाहर भेजा जाता है जिसके कारण वन आधारित उद्यम इस क्षेत्र में विकसित नहीं हुए हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विकास आर्थिक उन्नति हेतु आवश्यक है। वनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियॉ भी पाई जाती हैं। जिसमें तेज पत्ता, कपूर कवली, समीघा, पाषण भेद, वन हल्दी, गुणवन्ता, कुटकी, बण्डा, सालमसंजा, सालम मिश्री एवं गंधारामण आदि प्रमुख है। ये अधिकांश मात्रा

में मण्डल से बाहर निर्यात की जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में जड़ी बूटी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग जड़ी बूटी के रोपण का कार्य बृहत रूप से कर रहा है।

घने जंगलों में पशु पाये जाते है जिसमें बाघ, भालू, घुरड़, काकड़, हिरन प्रमुख हैं। पहले इन जंगलों में शेर तथा हाथी भी काफी संख्या में पाये जाते थे किन्तु धीरे–धीरे जंगलों के कटने व इनके निकट बस्तियॉ हो जाने तथा जंगलों के बीच लोगों का आवागमन हो जाने से अब जंगली पशुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। वन विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा के लिये कई प्रबन्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थान सुरक्षित रखे गये है। जिसमें कार्बेट नेशनल पार्क ढिकाला (रामनगर) एक प्रमुख सुरक्षित क्षेत्र है जो देश–विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र है। जनपद अल्मोड़ा में बिनसर अभ्यारण्य तथा पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। नैनीताल तथा अल्मोड़ा में चिड़ियाघर भी स्थापित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

वन राजस्व – वन क्षेत्र में सूखे, गिरे पेडों के प्रकाष्ठ, लीसा विदोहन, जडी बूटी से प्राप्त राजस्व, अवैध वाहनो के प्रवेश, अवैध कटान एवं चुगान आदि पर जुर्माना वन विभाग की आय का प्रमुख श्रोत है।

हक हकूक – पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों को वन प्रभाग द्वारा ग्रामीणों की आवश्यक्तानुसार उनका हक हकूक दिया जाता है।

प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निस्तारण में लागू नये नियम/अधिनियम – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओ/उपधाराओं के प्राविधानो के अनुसार वनो का रखरखाव किया जाता है। बढती जनसंख्या एवं बढते हुए जैवीक दबाव के फलस्वरूप घटते हुए वन तथा

विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु वनो पर निर्भरता पर्यावरण संरक्षण में प्रतिकूल परिस्थितिया है। इस क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधित अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखण्ड वन नियमावली 2001 – उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग 3155/1–व0ग्रा0वि 2001–बी(15) 2001 देहरादून दिनांक जुलाई, 3. 2001 ,द्वारा लागू है। जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के अधीन पंचायत वन नियमावली 1976 का अतिक्रमण कर नई नियमावली लागू की गई है। पंचायती वनों का रखरखाव व नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों व सरपंचों को दी गई है, जो जिला वन पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग से पंचायती वनो का विकास एवं संवर्द्धन करेंगे।

भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001 – उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 240 विभागीय एवं संसदीय कार्य 2002 देहरादून 1 अगस्त 2002 के विविध अधिसूचना अन्तर्गत भारत संविधान के अनुच्छेद 2000 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2001 को दिनांक 17.07.2002 को अनुमति प्रदान की।

इसके अन्तर्गत अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2002 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं 26, 33, 42, 52, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 77, 79, 82 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किए है। प्रभागीय वनाधिकारी को अवैध कार्यो में लिप्त वाहनों के अधिग्रहण सम्बन्धी एवं अतिक्रमित भूमि में बेदखली सम्बन्धी कार्य हेतु मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदत किए गए है।

अध्याय – 8

पशुपालन

पशुपालन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड का विशिष्ट स्थान है, भौगोलिक स्थिति के अनुरूप यहां भेड़, बकरी, गौ पालन व कृषि आय के मुख्य साधन रहे है। पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार कुमायूॅ मण्डल में 2241229 पशु हैं। कुल पशुधन में 905719 गौवंशीय, 460902 महिषवंशीय, 32 याक, 661114 बकरे–बकरियां, 70929 भेड़ें, 4316 सुअर, 15949 घोड़े, गधे, टट्टू तथा 122268 अन्य पशु हैं। कुक्कुटों की संख्या 3909847 है।

कुमाऊँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तराखण्ड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 39.32 प्रतिशत है। कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या इसकी जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या का 41.99 प्रतिशत है। पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार मण्डल के भीतर सबसे कम पशुधन 7.88 प्रतिशत जनपद चम्पावत में तथा सबसे अधिक 23.89 प्रतिशत जनपद पिथौरागढ में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि के बाद पशुपालन पर ही आधारित होती है। पशुपालन द्वारा ही ग्रामवासियों के आर्थिक सुधार के साथ स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।

पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार कुमायूॅ मण्डल में जनपद वार कुल पशुओं के सापेक्ष गोवंशीय पशुओं का प्रतिशत जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊ0सिंहनगर, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में क्रमशः 40.23, 38.46, 51.44, 39.39, 39.93 व 54.81 प्रतिशत है तथा महिषवंशीय पशुओं का प्रतिशत क्रमशः 19.71, 13.42, 26.42, 46.87, 10.08 व 13.85 प्रतिशत है। इस प्रकार गोवंशीय पशुओं का प्रतिशत जनपद चम्पावत में अपेक्षाकृत अधिक तथा बागेश्वर में बहुत कम है। कुमाऊँ मण्डल में क्रासब्रीड गोजातीय पशुओं का प्रतिशत गतवर्षो के तुलना में बढ़ रहा है।

भेड़ों की संख्या मण्डल में सर्वाधिक पिथौरागढ़ में है जो मण्डल की कुल भेड़ों का 66.74 प्रतिशत है। मण्डल में सबसे कम भेड़ों की संख्या जनपद चम्पावत में है जो लगभग 0.011 प्रतिशत है। बकरे, बकरियों की संख्या मण्डल के जनपद पिथौरागढ में सर्वाधिक है जो मण्डल की कुल संख्या का लगभग 30.44 प्रतिशत है तथा जनपद ऊधमसिंह नगर में सबसे

कम 6.50 प्रतिशत है। मण्डल में सुअरों की संख्या 4.316 हजार है। मण्डल में सर्वाधिक सुअरों की संख्या जनपद ऊधमसिंहनगर में है। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ में भेड़ों के ऊन से थुलमे, पंखी, स्वेटर, कालीन आदि बनाने के लघु उद्योग चल रहे है।

मण्डल में कुक्कुटों की संख्या सर्वाधिक जनपद ऊधमसिंहनगर में है जो मण्डल की कुल कुक्कुट संख्या का 78.34 प्रतिशत है तथा जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ व चम्पावत में यह संख्या मण्डल के अनुपात में क्रमशः 2.71, 0.66, 15.20, 1.04, व 2.04 प्रतिशत है। जनपद ऊधमसिंहनगर में नगरीय क्षेत्र अधिक होने के कारण कुक्कुट पालन का प्रचलन अधिक है मण्डल में बढ़ती हुई अण्डों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कुक्कुट पालन को सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाये जाने हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

पर्वतीय क्षेत्र में पशुधन की दयनीय स्थिति है। औसत दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। पर्वतीय भाग में देशी नस्ल के जानवर ही उपलब्ध हैं। अतः पर्वतीय क्षेत्र में चारा विकास कार्यक्रम संचालित कर अच्छे नस्ल के पशुओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कुमायूँ मण्डल में 135 पशु चिकित्सालय, 6 सचल दल चिकित्सालय, 367 पशुधन विकास केन्द्र, 343 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र, 6 पशु प्रजनन फार्म, 30 भेड़ विकास केन्द्र हैं। जनपदवार वर्ष 2013–14 तक उपलब्ध सुविधायें निम्नानुसार हैं :–

क्र0 सं0	संस्थाओं के नाम	जनपद						**योग मण्डल**
		अल्मोड़ा	बागेश्वर	नैनीताल	ऊ0नगर	पिथौ0	चम्पावत	
1	पशु चिकित्सालय	37	11	25	22	27	13	**135**
2	पशुधन विकास केन्द्र	77	32	98	74	63	23	**367**
3	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र /उपकेन्द्र	65	21	98	96	41	22	**343**
4	सचल पशु चिकित्सालय	1	1	1	1	1	1	**6**

प्रदेश में पशुपालन को बढावा देने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा कई योजनायें चलायी जा रही है, जिनमें से पशुरोग नियंत्रण हेतु वैक्सीन क्रय, पशुओं में सामुहिक रूप से दवापान की योजना, चारा विकास कार्यक्रम का सघनिकरण तथा सचल पशु चिकित्सा आदि प्रमुख है।

अध्याय – 9

सहकारिता

वर्तमान में सहकारिता विभाग में त्रिस्तरीय ढाँचा कार्यरत है, जिसके अन्तर्गत शीर्ष स्तर पर शीर्ष संस्थायें उत्तराखण्ड सहकारी बैंक एवं उत्तराखण्ड विपणन संघ कार्यरत हैं। जनपद स्तर पर जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी संघ एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार आदि केन्द्रीय संस्थायें हैं। इनके अतिरिक्त प्रारम्भिक स्तर पर प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति, प्रारम्भिक उपभोक्ता समितियाँ, महिला उपभोक्ता समिति, वेतनभोगी सहकारी समिति, श्रम समिति आदि प्रकार की समितियाँ कार्यरत हैं। सहकारी विभाग में निम्न मुख्य योजनायें कार्यरत हैं।

ऋण एवं अधिकोषण योजना :– उक्त योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से फसली एवं मध्यकालीन ऋण वितरित किये जाते हैं। समितियों में मिनी बैंक भी कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से समितियों को अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। सहकारी बैंक के माध्यम से समस्त प्रकार की समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय, उर्वरक व्यवसाय एवं अन्य प्रकार के व्यवसायों के लिये ऋण सीमायें उपलब्ध कराई जाती हैं। सहकारी बैंक उपभोक्ता उपभोग ऋण एवं अन्य व्यवसायिक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। मण्डल में जिला सहकारी बैंक की 117 शाखायें कार्यरत हैं।

उपभोक्ता योजना :– उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, जिला सहकारी संघ की शाखायें कार्यरत हैं। जिला सहकारी संघ के माध्यम से जनपद की प्रारम्भिक समितियों में उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है।

जड़ी–बूटी एवं भेषज योजना :– पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जड़ी–बूटी भेषज योजना कृषकों के लिए एक लाभदायक योजना है। इस योजना के अर्न्तगत जिला स्तर पर

भेषज संघ के माध्यम से जड़ी–बूटी का विदोहन एवं उसका क्रय–विक्रय किया जाता है।

अध्याय – 10

सिंचाई

मण्डल के पर्वतीय जनपदों में कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है जिस कारण उन्नतशील बीजों एवं उर्वरक रसायनिकों का प्रयोग कम हो पाता है। शासन द्वारा चलाये जा रहे राजकीय सिंचाई एवं निजी लघु सिंचाई के माध्यम से नहरें, गूल, हौज एवं हाईड्रम का निर्माण कर सिंचन क्षमता में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। जनपद ऊधमसिंहनगर एवं जनपद नैनीताल के भाबर व तराई क्षेत्र में सिंचाई के अधिक साधन उपलब्ध हैं। जहाँ नहर, गूल, हौज के अतिरिक्त भूस्तरीय पम्प सैटों से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है।

मण्डल के अन्तर्गत राजकीय नहरों की लम्बाई 3425.98 किमी0, लघुडाल नहरों की लम्बाई 146.58 किमी0, राजकीय नलकूपों की संख्या 431 एवं बोरिंग पर लगे भूस्तरीय पम्प सैटों/निशुल्क बोरिंग की संख्या 19946, हौजों की संख्या 14885, हाईड्रमों की संख्या 736 तथा कुल गूलों की लम्बाई 10888.25 किमी0 है। मण्डल में उक्त साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 182751 है0 तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 329040 है0।

लघु सिंचाई द्वारा जिला योजना अर्न्तगत गूल, हौज एवं हाईड्रम योजनाओं का निर्माण किया जाता है। हाईड्रम योजना को पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल वाले जल श्रोतों से पानी लिफ्ट करके उसमें आसानी से ऊपरी भूमि पर सिंचाई सुविधा सृजित की जा सकती है। कुमायूँ मण्डल में कुल शुद्ध सिंचिंत क्षेत्रफल में से 26.97 प्रतिशत क्षेत्र नहरों द्वारा 46.93 प्रतिशत क्षेत्रफल नलकूपों द्वारा तथा 26.10 प्रतिशत क्षेत्र अन्य साधनों द्वारा सिंचित है।

मण्डल में कृषि सांख्यिकीय वर्ष 2012–2013 के अनुसार जनपदवार विभिन्न श्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का विवरण निम्न प्रकार है :–

हेक्टे0

क्र0 सं0	स्रोत	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
1.	नहरें	3919	21918	89	18844	4257	254	**49281**
2.	नलकूप	0	5118	0	79310	0	1343	**85771**
3.	कुएं	8	802	0	40249	0	19	**41078**
4.	तालाब/पोखर/झील	48	0	0	3	0	0	**51**
5.	अन्य	1939	0	3326	556	640	109	**6570**

बीस सूत्रीय कार्यक्रम – लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में कुमाऊँ मण्डल हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3270 है0 के सापेक्ष 3318.01 है0 सिंचन क्षमता अर्जित की। वर्ष 2013–14 में कुमाऊॅ मण्डल के सभी जनपदों द्वारा शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्यो को पूर्ण करते हुए "ए" श्रेणी प्राप्त की।

राजकीय सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में कुमाऊँ मण्डल हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 7155 है0 के सापेक्ष 7191 है0 सिंचन क्षमता अर्जित की। वर्ष 2013–14 में कुमाऊॅ मण्डल के सभी जनपदों द्वारा शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्यो को पूर्ण करते हुए "ए" श्रेणी प्राप्त की।

अध्याय – 11

दुग्ध विकास

मण्डल के पर्वतीय जनपदों में जनता का रूझान पशुपालन तथा डेयरी उद्योग की तरफ बहुत कम है। कुछ कृषक जो दुधारू पशु गाय, भैंस पालन का कार्य करते हैं, परन्तु उनके पास अच्छी नस्ल के पशु न होने से दुग्ध उत्पादक नगण्य है। परिणाम स्वरूप लोगों में दुधारू पशुपालन में रूचि हटती जा रही है। पर्वतीय क्षेत्र में उन्नत चारे की समस्या है। जिस कारण अच्छे नस्ल के पशुओं का पालन नहीं हो रहा है। जिसका सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादन पर पड़ रहा है। अतः पर्वतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम सघन चारा विकास कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है। उन्नत चारे की व्यवस्था के उपरान्त अच्छे नस्ल के पशुओं के पालन की ओर कृषकों का रूझान बढ़ सकता है। डेयरी विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में दुग्ध समितियों का गठन कर दुग्ध व्यवसाय के कार्य को सहकारिता के माध्यम से बढावा दिया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में कुमायूँ मण्डल में 2070 दुग्ध समितियां गठित हैं, जिसमें से जनपद नैनीताल में 514, जनपद ऊधमसिंह नगर में 565, जनपद अल्मोड़ा में 397, जनपद बागेश्वर में 110, जनपद पिथौरागढ़ में 285 तथा जनपद चम्पावत में 199 समितियां कार्यरत है। सर्वाधिक समितियां ऊधमसिंह नगर में तथा सबसे कम समितियां बागेश्वर में है।

समितियों के माध्यम से पशु आहार पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान पश्चात् उचित दरों पर अच्छा पशु आहार सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है। कुमायूँ मण्डल में वर्ष 2013–14 तक गठित कुल समितियां 2070 में से 1583 कार्यरत रही है जिनमें सदस्यों की संख्या 86580 है। कूमायूँ मण्डल में वर्ष 2013–14 में प्रतिदिन औसत दुग्ध विक्रय 114241 ली0 रहा, जिसमें जनपद नैनीताल में 68564 ली0, जनपद ऊधमसिंह नगर में 30892 ली0, जनपद अल्मोड़ा में 8933 ली0, जनपद पिथौरागढ़ में 4072 ली0 तथा जनपद चम्पावत में 1780 ली0 रहा। जनपद नैनीताल में सर्वाधिक तथा जनपद चम्पावत में सबसे कम औसत दुग्ध विक्रय रहा। वर्ष 2013–14 में कुमायूँ मण्डल में दैनिक दुग्ध उपार्जन 125381 लीटर प्रतिदिन रहा। जनपद नैनीताल में सर्वाधिक 60484 लीटर प्रतिदिन तथा जनपद बागेश्वर में सबसे कम 445 लीटर दैनिक दुग्ध उपार्जन रहा। जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत तथा ऊधमसिंह नगर में दैनिक दुग्ध उपार्जन क्रमशः 11663, 3774, 8600 तथा 40415 लीटर प्रतिदिन रहा।

अध्याय – 12
मत्स्य विकास

मत्स्य पालन द्वारा रोजगार सृजन की अपार सम्भावनायें है। विभाग द्वारा वर्तमान में निम्न योजनाएं मण्डल में चलायी जा रही हैः–

(अ) कच्चे तालाबों का निर्माण

पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए शीत जल मत्स्यिकी का विकास योजना के नाम से रनिंग वाटर तालाब निर्माण की योजना संचालित की जा रही है। वर्तमतान मे योजना अन्तर्गत 12 हजार रू0 प्रति यूनिट की दर से एक लाभार्थी को अधिकतम 3 यूनिट या 300 वर्गमी0 हेतु 36 हजार रू0 तक अनुदान दिया जा रहा है।

(ब) मत्स्य पालन प्रशिक्षण

मत्स्य पालकों को दस (10) दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि मत्स्य पालक वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन कर अधिक उत्पादन कर सके। योजना के नार्म के अनुसार रू0 150/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता तथा रू0 250/– एक फील्ड ट्रिप (स्थल भ्रमण) भत्ता देय है। इस प्रकार एक प्रशिक्षार्थी को रू0 1750/–मात्र प्रशिक्षण भत्ता देय होता है।

(स) मत्स्य बीज वितरण

योजना के अन्तर्गत निर्मित कराए गए तालाबों में विभाग द्वारा उन्नत प्रजाति का मत्स्य बीज राजकीय दरों पर वितरित किया जाता है। मत्स्य बीज का वितरण भीमताल मत्स्य प्रक्षेत्र नैनीताल, मनान मत्स्य प्रक्षेत्र अल्मोड़ा तथा उधमसिंहनगर स्थित विभागीय धौरा मत्स्य प्रक्षेत्र एवं अभिकरण की हैचरी, हेमपुर (काशीपुर) से किया जाता है।

मत्स्य पालन के द्वारा उपलब्ध जल श्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन भी किया जा सकता है। मत्स्य पालन हेतु संरक्षित जल श्रोत से इसके आस–पास नमी बनी रहती है, जिससे वनस्पति का दोगुना उत्पादन होने के साथ–साथ जलीय पारिस्थितिकी में भी संतुलन बना रहता है।

मत्स्य पालन योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ–साथ प्रोटीनयुक्त मांसाहार की सस्ती एवं सहज आपूर्ति होने पर कुपोषण की समस्या भी दूर हो सकती है। तालाब निर्माण से पशुओं के पीने के पानी की समस्या दूर होने के साथ–साथ सब्जी उत्पादन को भी बढावा मिला है। पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु सैकडों हैक्टयर नदी के किनारे के निष्प्रयोज्य भूमि तथा मैदानी क्षेत्रों के निष्प्रयोज्य दलदली भूमि का भरपूर उपयोग करने हेतु मत्स्य विभाग कों जिला योजना से भी प्रयाप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। कुमाऊँ मण्डल में इस विभाग के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त है जिसमें तैनाती की व्यवस्था अपेक्षित है।

अध्याय–13

ग्राम्य विकास

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :–

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित हो चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बी0पी0एल0 परिवारों विशेषकर महिला स्वंय सहायता समूहों को प्रशिक्षित कर समूहों के माध्यम से सशक्त करते हुए बचत की प्रवृत्ति का विकास करना एवं ऋण उपादान के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करना है।

2. इन्दिरा आवास योजना :– इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मुक्त बंधुवा मजदूरों, अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति तथा विकलांगों, मृतक सैनिकों/अर्द्ध सैनिकों के

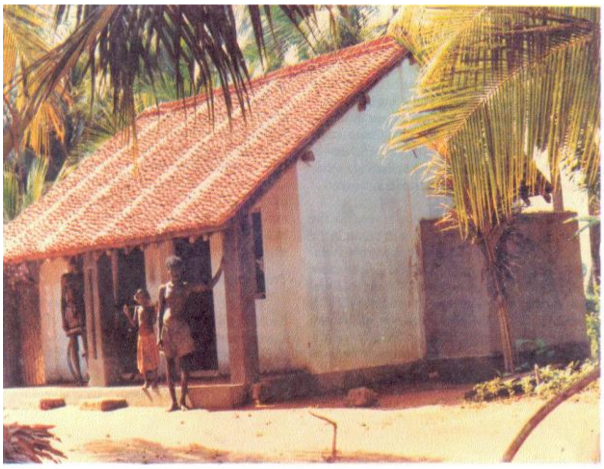

परिवारों/विधवाओं, भूतपूर्व/सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्द्ध सैनिकों को बिना आय सीमा के बाधा के एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के आवास विहीन परिवार होंगे। गैर अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या की कुल लाभार्थियों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। योजना में प्रति आवास पर्वतीय क्षेत्रों

हेतु 75000 रू0 मात्राकृत है। आवास में शौचालय, धूम्र रहित चूल्हा, आवास नाम पट्टिका होना आवश्यक है। जनपदवार वर्ष 2013–14 की प्रगति निम्न प्रकार है :–

जनपद	लक्ष्य	पूर्ति
अल्मोड़ा	13	261
बागेश्वर	0	0
नैनीताल	65	113
ऊधमसिंह नगर	34	511
पिथौरागढ़	4621	309
चम्पावत	168	168
योग मण्डल	**4901**	**1362**

3. नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजनाः– नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रू0 32000 मात्र है, योजना में लक्षित है। योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु रू0 10000 अनुदान तथा रू0 40000 बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।

4. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रमः–राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम अपारम्परिक ऊर्जा

श्रोत मंत्रालय भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो भारत सरकार से शत–प्रतिशत वित्त पोषित है। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं लाभार्थियों का चयन इस योजना में किया जाता है, जो इसमें रूचि रखते हो तथा इसे अपने व अपने परिवार के विकास का एक आवश्यक अंग मानते है, साथ ही इस योजना को अंगीकार करने के इच्छुक भी हो। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि केवल वे ही लाभार्थी इस योजना के लिए चयन किये जाय जिनके पास स्वंय के पर्याप्त पशु हों। बायोगैस संयत्रों पर जिनकी क्षमता एक घन मी0 से 10 घन मी0 तक है, उन्हें

रू0 10000 अनुदान दिया जाता है। बायोगैस संयत्रों को स्वच्छ शौचालयों से जोड़ने पर रू0 1000 प्रति संयत्र की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2013–14 में 426 बायोगैस संयत्रों का निर्माण किया गया, जनपदवार सूचना निम्न प्रकार हैः–

जनपद	लक्ष्य	पूर्ति
अल्मोड़ा	30	30
बागेश्वर	8	8
नैनीताल	195	195
ऊधमसिंह नगर	170	170
पिथौरागढ़	15	15
चम्पावत	8	8
योग मण्डल	**426**	**426**

5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) :–

उद्देश्य :– ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिवस के श्रम रोजगार की कानूनी गारण्टी प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा की वृद्धि। जल संरक्षण, सूखा निवारण, सिंचन सुविधा, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण व जल विकास व सर्वमौसम सड़क द्वारा संयोजकता संबंधी कार्यों का निष्पादन।

पात्रता :– पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हों।

योजना का कार्य क्षेत्र :– सम्पूर्ण राज्य

क्रियान्वयन प्रक्रिया :– ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार चाहने वाले परिवारों का पंजीकरण।

श्रम रोजगार के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के परिचय पत्र/जाब कार्ड की सुविधा।

ग्राम स्तर पर इस कार्य का संचालन ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। जाब कार्ड के माध्यम से इच्छुक कार्य करने वाले व्यक्तियों का

नामांकन किया जाता है, जिन्हें 15 दिन के भीतर अपने ग्राम पंचायत या निकट के ग्राम पंचायत में काम दिया जाता है। इनके मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस या बैंक के माध्यम से किया जाता है।

- पंजीकृत मजदरों द्वारा कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन।
- योजनान्तर्गत ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबन्धित।
- पंजीकृत आवदेनकर्त्ता द्वारा कार्य हेतु आवदेन प्राप्ति पर श्रम रोजगार की उपलब्धता 15 दिवस के भीतर।
- कम से कम लगातार 14 दिन के कार्य के लिए अवेदन करना अनिवार्य।

अधिनियम के अन्तर्गत वरीयतानुसार अनुमन्य कार्य :–

- जल संरक्षण एवं जल संग्रहण।
- सूखा निवारण, वनीकरण व वृक्षारोपण।
- सिंचाई नहर जिसमें सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य भी सम्मिलित है।
- अनु0जाति/जनजाति के परिवारों अथवा भूमि सुधार योजना के लाभार्थी परिवारों की भूमि हेतु सिंचाई सुविधा का प्रविधान।
- परम्परागत जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार जिसमें तालाबों की सफाई भी सम्मिलित है।
- भूमि विकास।
- बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा कार्य जिसमें जल भराव क्षेत्रों से जल निकास भी सम्मिलित है।
- सर्वमौसम सड़क सम्पक्र द्वारा ग्रामीण संयोजकता।

कार्यस्थलीय सुविधायें :–

- चिकित्सा सुविधा, पीने का पानी, आराम हेतु छाया की उपलब्धता।
- छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताओं द्वारा कार्य किए जाने की दशा में यदि वे संख्या में 5 से अधिक हैं तो उनके बच्चों हेतु क्रेच की व्यवस्था।
- कार्य करते दुर्घटना से घायल व्यक्ति की निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल भर्ती की स्थिति में आधी मजदूरी देय। मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि देय।

मजदूरी भुगतान प्रक्रिया :–

- राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी देय। वर्तमान दर रू0 156 प्रतिदिन प्रतिश्रमिक निर्धारित।
- महिला तथा पुरूष को एक समान मजदूरी देने की व्यवस्था।
- विलम्बतम 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था।
- कार्यों के लिए श्रमांश कम से कम 60 तथा सामग्री अंश अधिकतम 40 निर्धारित जिसमें कुशल व अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी भी सम्मिलित है।

बेरोजगारी भत्ता :–

- पंजीकृत मजदूरों को निर्धारित अवधि के भीतर कार्य आवंटन न होने की दशा में बेरोजगारी भत्ता देय।
- प्रथम 30 दिवसों हेतु मजदूरी की एक चौथाई एवं शेष अवधि के लिए मजदूरी की आधी दर।
- खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी बेराजगारी भत्ता भुगतान हेतु उत्तरदायी।

वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था :–

- **केन्द्र सरकार द्वारा –** अकुशल मजदूरों की पूर्ण मजदूरी तथा कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों को देय मजदूरी एवं सामग्री अंश का 75।
- **राज्य सरकार द्वारा –** कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों की कुल मजदूरी एवं सामग्री अंश का 25 तथा बेराजगारी भत्ता देय।

आवंटन प्रक्रिया :–

- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को अपने–अपने अंश की धनराशि अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाना।
- कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अग्रिम के रूप में अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था।
- क्रमिक धनावंटन उपयोग एवं मांग आधारित।

पारदर्शिता :–

- कार्य के वित्तीय एवं भौतिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अतिरिक्त महालेखाकार/सी0ए0जी0 भारत सरकार, स्थानीय लेखा सम्प्रेक्षा तथा विभागीय सम्प्रेक्षा द्वारा सम्प्रेक्षण की व्यवस्था।
- ग्राम पंचायत के विवरणों के सम्पेक्षण हेतु अन्तर्जनपदीय सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना।
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक सम्प्रेक्षण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम का पूर्ण पालन।
- जिलास्तरीय अनुश्रवण एवं सतक्रता समितियों द्वारा निगरानी।

योजना की विस्तृत जानकारी के लिए सम्पक्र करें :–

- **शासन स्तर पर –** प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
- **विभागाध्यक्ष स्तर पर –** आयुक्त/उपायुक्त/सहा0 आयुक्त ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड़, पौडी, अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
- **जनपद स्तर पर –** जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक।
- **विकास खण्ड स्तर पर –** खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी।
- **ग्राम पंचायत स्तर पर –** प्रधान ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी।

मजदूरी पंजीकरण हेतु आवदेन करें :–

- ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत में।

जाब कार्ड हेतु सम्पक्र करें करें :–

- ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत में
- खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी

कार्य आवंटन हेतु सम्पक्र करें करें :–

- ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
- खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी

योजनान्तर्गत मण्डल में कुल उपलब्ध धनराशि रू0 13524.08 लाख में से वर्ष 2013–14 में रू0 13298.23 लाख व्यय किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष में योजना से रोजगार प्राप्त व्यक्ति		नगद मजदूरी के रूप में दी गई मजदूरी (लाख रूपया)
		पुरूष	स्त्री	
1	अल्मोड़ा	18399	11274	1342.17
2	बागेश्वर	12309	6586	1145.51
3	नैनीताल	9840	4508	771.44
4	ऊधमसिंह नगर	17618	7550	1238.92
5	पिथौरागढ़	40788	23142	2797.03
6	चम्पावत	17814	0	912.50
योग मण्डल		**116768**	**53060**	**8207.57**

6. **सार्वभौम रोजगार योजना** :– योजना के अन्तर्गत ऐसे इच्छुक युवक/युवतियों, पुरूषों एवं महिलाओं हेतु स्वरोजगार लक्षित करती है, जो स्थानीय रूप में स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन करना चाहते है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो केन्द्र अथवा राज्य द्वारा प्रायोजित एवं सहायतित किसी भी ऋण सह अनुदान स्वरोजगार/रोजगार योजना का लाभार्थी न हो एवं सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्रों में निर्मित रूप से सेवायोजित न हो, पात्रता की श्रेणी में आता है। योजना में 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं 33 प्रतिशत महिलाओं एवं 3 प्रतिशत विकलांगों का आच्छादन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत चयनित क्रिया कलापों/गतिविधियों के लिए प्रथम वर्ष

रू0 7000, द्वितीय वर्ष रू0 5000 प्रोत्साहन अनुदान एवं तृतीय वर्ष में रू0 3000 प्रोत्साहन अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त स्नातक एवं उससे अधिक शिक्षित स्वरोजगारी को अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान कुल देय अनुदान का 10 प्रतिशत है। अनुदान की राशि किसी भी दशा में प्रयोजना लागत की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। योजना के अन्तर्गत जड़ी–बूटी एवं सुगन्ध पादप, खाद्य प्रसंस्करण, पनचक्की सेवा व्यवसाय, वाणिज्य कृषि, शिल्पकारी आदि क्रिया कलाप हेतु स्वरोजगारियों को वित्त पोषित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत मण्डल में वर्ष 2012–13 का अवशेष 0.68 लाख रू0 तथा वर्ष 2013–14 में आवंटित धनराशि 98.98 लाख रू0 है, इस प्रकार मण्डल स्तर पर कुल 99.66 लाख रू0 उपलब्ध हुए। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 89.55 लाख रू0 व्यय किया गया।

अध्याय – 14
विद्युत

आर्थिक विकास हेतु प्रमुख अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता के अन्तर्गत विद्युत सबसे प्रमुख है। सामान्यजन के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन विद्युत पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्यों के लिये भी विद्युत का प्रयोग धीरे–धीरे बढ़ता जा रहा है। कुमायूॅ मण्डल में 6885 राजस्व ग्राम है, जिनमें से वर्ष 2013–14 के अन्त तक 6865 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिला

नैनीताल, ऊधमसिंह नगर तथा चम्पावत में सभी ग्राम विद्युतीकृत हैं। अल्मोड़ा में 99.77 प्रतिशत, पिथौरागढ़ में 99.42 प्रतिशत तथा बागेश्वर में 99.29 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं।

जनपदवार आबाद ग्राम तथा विद्युतीकृत ग्रामों का विवरण वर्ष 2013–14 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	जनपद	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या			
		पावर कारपोरेशन द्वारा	उरेडा द्वारा	लघु जल विद्युत	योग
1.	अल्मोड़ा	2150	1	0	2151
2.	बागेश्वर	790	20	31	841
3.	नैनीताल	1048	0	5	1053
4.	पिथौरागढ़	1447	86	0	1533
5.	ऊधमसिंहनगर	655	0	0	655
6.	चम्पावत	605	27	0	632
योग मण्डल		**6695**	**134**	**36**	**6865**

अध्याय – 15

उद्योग

आर्थिक विकास के युग में अब यह निर्विवाद रूप से परिलक्षित हो रहा है कि उद्योगों के बिना किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास मात्र कल्पना ही है। ऐसी स्थिति में उद्योगों की आवश्यकता मूलभूत आवश्यकताओं के समान है। एक तरफ उद्योगों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार के साथ–साथ अपनी क्षमता को विकसित करने का अवसर उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार उद्योगों का विकास आर्थिक विकास का प्रमुख द्योतक है। कारखाना अधिनियम 1948 के

अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल में 1407 कारखाने क्रियाशील है। इन कारखानों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 88779 है। जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थापित पंजीकृत कारखानों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 81512 है, जो कुमायूँ मण्डल में कार्यरत कारखानों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का 92 प्रतिशत है।

खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2013–14 तक 5815 इकाइयॉ में 15239 व्यक्ति कार्यरत है। लघु उद्योग के अन्तर्गत 8798 इकाईयों में 29807 व्यक्ति कार्यरत है।

सिडकुल :– जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2010–11 तक 73 वृहत उद्योग, उद्योगपतियों द्वारा स्थापित किये गये हैं। उत्तराखण्ड शासन ने 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्थायी बेरोजगार नव युवकों को रोजगार देने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

उद्योग विभाग **माहः मार्च ,2014** **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य (संख्या में)	बैंको को प्रेषित प्रार्थना पत्र		बैंको द्वारा स्वीकृत प्रार्थना पत्र संख्या		बैंको द्वारा वितरित प्रार्थना पत्र		लक्ष्य के सापेक्ष वितरित प्रार्थना पत्र का प्रतिशत
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	अल्मोड़ा	26	98	271.67	80	205.47	75	193.87	288.46
2	बागेश्वर	22	74	270.00	56	205.00	55	139.80	250.00
3	पिथौरागढ़	24	166	545.50	93	290.50	93	271.78	387.50
4	चम्पावत	16	83	321.13	70	261.85	70	261.85	437.50
5	नैनीताल	24	100	401.58	55	222.83	49	171.62	204.17
6	ऊधमसिंह नगर	30	91	952.94	36	415.97	34	378.72	113.33
योग कुमाऊँ		**142**	**612**	**2762.82**	**390**	**1601.62**	**376**	**1417.64**	**264.79**

अध्याय – 16

मार्ग परिवहन तथा संचार

आर्थिक विकास तथा जनजीवन के स्तर को उन्नत करने में मार्ग परिवहन तथा संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा जनजीवन के समग्र विकास में सड़कें एवं परिवहन प्रमुख भूमिका अदा करते है। इनके अतिरिक्त इसके द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते है। संचार साधनों द्वारा पारस्परिक सम्पर्क की सुविधा प्राप्त होने के अतिरिक्त जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरम बनता है।

वर्ष 2013–14 तक इस मण्डल में कुल सड़कों की लम्बाई तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत पक्की सड़कों की लम्बाई निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	जनपद	लोक निर्माण विभाग की सड़कों की लं0 (किमी0)	अन्य विभागों के अन्तर्गत सड़कों की लम्बाई (किमी0)	कुल पक्की सड़कों की लं0 (किमी0)
1	अल्मोड़ा	2982	131	3113
2	बागेश्वर	674	37	711
3	नैनीताल	3072	1528	4600
4	ऊधमसिंहनगर	2052	1569	3621
5	पिथौरागढ़	1581	337	1918
6	चम्पावत	748	406	1154
योग मण्डल		**11109**	**4008**	**15117**

प्रतिलाख जनसंख्या पर कुमायूँ मण्डल में पक्की सड़कों की लम्बाई 357.58 किमी0 है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में प्रतिलाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई चम्पावत में 444.69 किमी0, नैनीताल में 482.00 किमी0, अल्मोड़ा में 500.31 किमी0, पिथौरागढ़ में 396.89 किमी0, बागेश्वर में 273.83 किमी0 तथा ऊधमसिंह नगर 219.63 किमी0 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमायूँ मण्डल

में प्रति हजार वर्ग किमी0 पर पक्की सड़कों की लम्बाई 718.94 किमी0 है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में ऊधमसिंह नगर में 1424.66 किमी0, नैनीताल में 1082.37 किमी0, अल्मोड़ा में 992.18 किमी0, चम्पावत में 653.81 किमी0, बागेश्वर में 316.86 किमी0 तथा पिथौरागढ़ में मात्र 270.62 किमी0 है। क्षेत्रफल के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में सड़कों की लम्बाई बहुत कम है।

जनपद पिथौरागढ, बागेश्वर में सड़कों की लम्बाई अपेक्षाकृत कम है। जिसका कारण यह है कि इन जनपदों का अधिकांश उत्तरी क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है जहॉ पर जनसंख्या नगण्य है। अतः वहॉ सड़क निर्माण की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है।

रेल लाइनें :— मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय है जिसमें रेल लाइनों का बिछाया जाना सम्भव नहीं है। जनपद चम्पावत, नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में 3 रेलवे लाईनें उ0प्र0 के मैदानी क्षेत्र से आकर क्रमशः टनकपुर, काठगोदाम तथा रामनगर पर समाप्त हो जाती है, जिसमें सभी स्टेण्डर्ड व मीटर गेज की लाइनें हैं। मण्डल के भीतर पड़ने वाली रेल लाईनों की कुल लम्बाई 212 किमी0 है, इन रेल लाईनों द्वारा न केवल यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है अपितु इस मण्डल से कच्चा माल जैसे लकड़ी, पत्थर तथा अन्य वन उत्पाद आदि को मैदानी भागों को ढोने तथा मैदानी भागों से खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को यहॉ तक पहुॅचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

संचार सेवायें :— वर्ष 2013—14 तक कुमायूँ मण्डल में 1151 डाक घर स्थापित हैं। कुमायूँ मण्डल के अल्मोड़ा में 320, पिथौरागढ़ में 322, नैनीताल में 168, बागेश्वर में 151, ऊधमसिंह नगर में 110 तथा चम्पावत में 80 डाकघर है। कुमायूँ मण्डल में टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या 86199 है। जिसमें से सर्वाधिक 42656 जनपद ऊधमसिंह नगर में टेलीफोन कनैक्शन हैं। 7861 जनपद अल्मोड़ा में, 26163 जनपद नैनीताल में, 1192 जनपद चम्पावत में 3679, जनपद पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर में 4648 टेलीफोन कनैक्शन हैं।

मण्डल में जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में संचार सुविधायें अधिक हैं तथा जनपद अल्मोडा, बागेश्वर, पिथैारागढ पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र हैं एवं जनपद चम्पावत का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र होने पर भी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात में सुविधायें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

अध्याय – 17

बैकिंग सेवा

बैकिंग सेवा के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 460, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें 124 तथा अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें 144 कार्यरत है। वर्ष 2013–14 में व्यवसायिक बैंको की जमा धनराशि 2216756.29 लाख रूपया है। बैकों द्वारा वर्ष 2013–14 में 1352634.40 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2013–14 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 61.02 रहा है। वर्ष 2013–14 में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य में 311184.00 लाख रूपया, लघु उद्योग तथा अन्य में 324722.00 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया है।

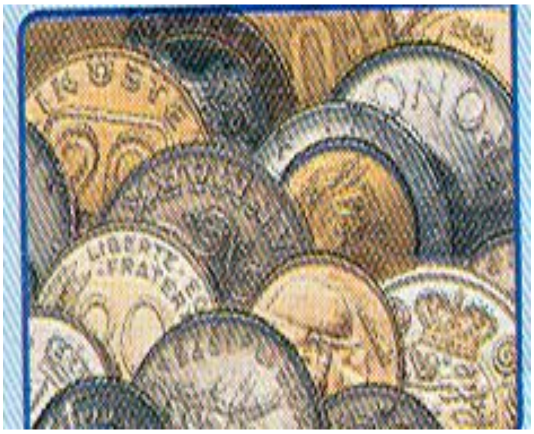

वर्ष 2013–14 में जनपदवार बैंक सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है –

क्र0 सं0	जनपद का नाम	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा	अन्य व्यवसायिक बैंक शाखा	जिला सहकारी बैंक	सहकारी बैंक की शाखा	सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शाखा
1	अल्मोड़ा	77	26	12	1	21	1
2	बागेश्वर	25	13	3	--	8	--
3	नैनीताल	107	29	26	1	27	1
4	ऊधमसिंह नगर	171	17	71	4	26	4
5	पिथौरागढ़	46	28	2	1	20	--
6	चम्पावत	34	11	30	--	8	--
	योग मण्डल	**460**	**124**	**144**	**7**	**110**	**6**

अध्याय – 18

शिक्षा

शिक्षा का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा पर निर्भर करती है। अतः शिक्षा आर्थिक विकास का

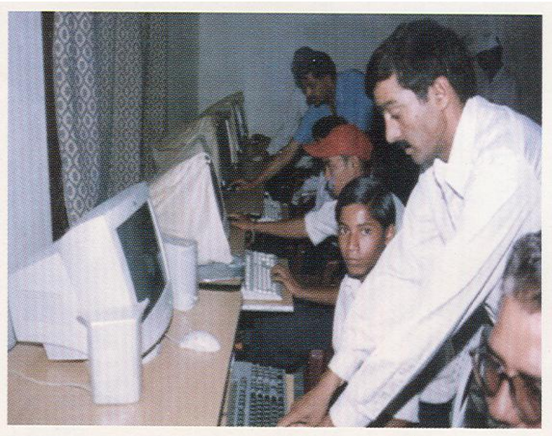

अभिन्न अंग है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक राजस्व ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायूँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। कुमायूँ मण्डल में महिला साक्षरता का प्रतिशत 69.61 तथा जबकि पुरूष साक्षरता का प्रतिशत 87.36 है। जनगणना 2011 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में साक्षरता का प्रतिशत निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	जनपद	पुरूष	स्त्री	कुल व्यक्ति
1	अल्मोड़ा	92.86	69.93	80.47
2	नैनीताल	90.07	77.29	83.88
3	ऊधमसिंहनगर	81.09	64.45	73.10
4	पिथौरागढ़	92.75	72.29	82.25
5	बागेश्वर	92.33	69.03	80.01
6	चम्पावत	91.61	68.05	79.83
योग मण्डल		**69.61**	**87.36**	**78.52**

साक्षरता का प्रतिशत 6 से अधिक वर्ष की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मण्डल में जनपद नैनीताल़ का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है तथा ऊधमसिंहनगर में सबसे कम है। लिंगवार साक्षरतान्तर्गत

जनपद ऊधमसिंह नगर में स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत अन्य जनपदों के सापेक्ष कम है।

कुमायूँ मण्डल में जूनियर बेसिक स्कूल 6620, सीनियर बेसिक स्कूल 1684 तथा 1297 माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं।

जनपदवार विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है :–

(संख्या में)

क्र0 सं0	मद	जू0बे0 स्कूल	सी0बे0 स्कूल	हा0 से0 स्कूल	स्नातक /स्नातकोत्तर	विश्वविद्यालय
1	अल्मोड़ा	1448	221	296	9	--
2	बागेश्वर	692	141	108	4	--
3	नैनीताल	1230	402	284	4	1
4	ऊ0नगर	1219	405	296	13	1
5	पिथौ0	1498	381	225	6	--
6	चम्पावत	533	134	88	3	--
योग मण्डल		**6620**	**1684**	**1297**	**39**	**2**

जनसंख्या के आधार पर समीक्षा करने पर पाया गया है कि कुमायूँ मण्डल में प्रतिलाख जनसंख्या पर 157 जूनियर बेसिक स्कूल हैं। जिसमें से जनपद अल्मोड़ा में 233, बागेश्वर में 266, पिथौरागढ़ में 310, चम्पावत में 205, नैनीताल में 129 तथा ऊधमसिंह नगर में 74 स्कूल स्थापित हैं।

कुमायूँ मण्डल में प्रतिलाख जनसंख्या पर 40 सीनियर बेसिक स्कूल हैं। जिसमें से अल्मोड़ा में 36, बागेश्वर में 54, पिथौरागढ़ में 79, चम्पावत में 52, नैनीताल में 42 तथा ऊधमसिंह नगर में 25 स्कूल स्थापित हैं। कुमायूँ मण्डल में प्रतिलाख जनसंख्या पर 31 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें से जनपद अल्मोड़ा में 48, बागेश्वर में 42, पिथौरागढ़ में 47, चम्पावत में 34, नैनीताल में 30 तथा ऊधमसिंह नगर में 18 स्कूल स्थापित हैं।

कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय – बालिकाओ को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी जनपदों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 75

प्रतिशत एवं शेष 25 प्रतिशत बी0पी0एल0 श्रेणी की बालिकाएं प्रवेश ले सकती है। जनपद नैनीताल में खनस्यू , अल्मोडा में चगेठी एवं सुनाडी, पिथौरागढ में दशाईथल, ऊधमसिंह नगर में सितारगंज एवं बाजपुर एवं बागेश्वर में उतरौडा तथा जनपद चम्पावत में टनकपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय स्वीकृत है।

तकनीकी शिक्षा :– प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के उपरान्त व्यक्तियों को विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिए वाँछित रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित होना वर्तमान समय में आवश्यकीय हो गया है। इस उद्देश्य से तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है, जो कि युवकों को शिक्षा के उपरान्त रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायक हो सके।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2013–14 तक तकनीकी सुविधायें निम्नवत हैं :–

(संख्या में)

क्रम संख्या	जनपद	पालीटेक्निक	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
1	अल्मोड़ा	7	16
2	बागेश्वर	2	5
3	नैनीताल	3	8
4	ऊधमसिंह नगर	3	10
5	पिथौरागढ़	4	8
6	चम्पावत	1	5
योग मण्डल		**20**	**52**

अध्याय – 19

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

मण्डल में वर्ष 2013–14 तक 191 एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय एवं 214 आयुर्वेदिक चिकित्सालय /औषधालय तथा 53 होम्योपैथिक चिकित्सालय/ औषधालय और 26 सामु0 स्वा0 केन्द्र, 108 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 836 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र / मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थापित हैं।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2013–14 के अन्त में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	जनपद	एलोपैथिक चि0/औष0	प्रा0स्वा0 केन्द्र	सामु0 स्वा0 केन्द्र	चिकित्सालय में शैय्या	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र उपकेन्द्र	आर्यु0 चिकि0 एवं औष0	होम्योपैथिक चिकित्सालय /औषधालय
1	अल्मोड़ा	50	28	4	714	206	52	11
2	बागेश्वर	22	13	2	170	87	18	5
3	नैनीताल	50	19	8	1949	146	39	11
4	ऊ0 नगर	13	28	6	570	160	23	10
5	पिथौरागढ़	40	18	4	616	164	57	11
6	चम्पावत	16	2	3	218	73	25	5
योग मण्डल		**191**	**108**	**27**	**4237**	**836**	**214**	**53**

जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिलाख जनसंख्या पर जनपद अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर में 14, नैनीताल में 8, ऊधमसिंह नगर में 3, पिथौरागढ में 13 तथा चम्पावत में 8 एवं कुमायूँ मण्डल में 8 एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय व प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस मण्डल के प्रत्येक जनपद में जनसंख्या के अनुपात में चिकि0/औष0 तथा उसमें उपलब्ध शैय्याओं की संख्या पर्याप्त है, किन्तु भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सालयों में सामान्य जनता का पहुँचना अपेक्षाकृत कठिन होता है । अतः पर्वतीय अंचलों में औषधालयों तथा छोटे चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि किया जाना उपयुक्त होगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में (एन0आर0एच0एम0) कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर आशा कार्यकत्रियों की नियुक्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24X7 सुविधायें, आयुष का एकीकरण आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

<u>ई0एम0आर0आई0 108</u> – उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में एन0आर0एच0एम0 के तहत ई0एम0आर0आई0 108 द्वारा अपनी सेवायें प्रदान की जा रही है जो कि आकस्मिक रोगियो को चिकित्सा सुविधा पहुचाने के साथ–साथ उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रो तक पहुचाने का कार्य किया जा रही है। कुमाऊँ मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण सभी स्थानो पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

अध्याय – 20

जल सम्पूर्ति

कुमाऊँ मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण ग्रामों में पेयजल की सुविधा प्राकृतिक स्रोतो से प्राप्त होती है कुऑं, हैण्डपम्प तथा टयूबवैल द्वारा

जनपद नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के मैदानी भागों के ग्रामों में ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। पर्वतीय ग्रामों में पेयजल की सुविधा शीघ्र नियमित कराये जाने की आवश्यकता है।

स्वच्छ पेयजल मानव जीवन के लिए नितान्त आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पर्वतीय भू–भाग में अधिकांश जल स्रोत सूख रहे हैं तथा अधिकांश जल स्रोतों में जल का स्तर निरन्तर कम होता जा रहा है। अतः पर्वतीय भाग में जल स्रोतों के दोहन के साथ–साथ जल संरक्षण का कार्य वृहत् स्तर पर किया जाना आवश्यक है। भूमि एवं जल संरक्षण योजना तथा जलागम योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण कार्यों को महत्व दिया जा रहा है। यद्यपि प्रत्येक आबाद ग्राम में उपलब्ध स्थानीय प्राकृतिक श्रोतों से पानी के पाइप पहुँचाये जाते है किन्तु गत वर्षो से जल श्रोत सूख जाने के कारण पेयजल आपूर्ति कम हो गयी है।

ग्रमों में जल श्रोतों एवं पाइप लाइन की देखरेख हेतु बहुत कम मानदेय पर अल्प समय वाले मजदूर रखे गये है इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्याय – 21

पर्यटन

कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे सुन्दर एवं आकर्षक क्षेत्र है। जनपद ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र से आरम्भ होकर पिथौरागढ़ के अन्तिम छोर तक अनेक ऊँची–नीची पर्वतमालाएं एवं शस्यश्यामला वसुन्धरा के बीच यह मण्डल अपने में एक विशेष आकर्षण प्रस्तुत करता है। यहाँ से कैलाश एवं मानसरोवर के दुर्गमपथ, ऊँची–नीची पर्वत मालायें एवं ग्लेशियर के मनोरंजक स्थल देश–विदेश के पर्यटकों को बरबस आकर्षित करते हैं।

जनपद नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, नेशनल कार्बेट पाक्र रामनगर तथा मुक्तेश्वर मुख्य पर्यटन स्थल तथा कैंची धाम, हैड़ाखान मुख्य धार्मिक स्थल हैं। जहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक/श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल नानकमत्ता, काशीपुर में द्रोण सागर तथा गिरिताल पर्यटकों का मुख्य आकर्षक स्थल है। रूद्रपुर में झील का निर्माण स्वीकृत हुआ है जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। काशीपुर में माँ दुर्गा का प्रति रूप चैती माई का मन्दिर है। जहाँ प्रतिवर्ष चैत्रमास में 15 दिन का धार्मिक तथा पर्यटक मेला आयोजित होता है।

जनपद अल्मोड़ा में लोगों की आस्था का प्रतीक चितई स्थित गोलू मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। अल्मोड़ा, शीतलाखेत, बिनसर तथा रानीखेत प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अल्मोड़ा स्थिति जागेश्वर में प्राचीन मन्दिर समूह, बिनसर महादेव में शिव मन्दिर तथा गणनाथ में प्राचीन शिव मन्दिर हैं। दूनागिरि में प्राचीन धार्मिक स्थल है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

जनपद बागेश्वर में कौसानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। बैजनाथ पुरातात्विक स्थल, पिण्डारी, कफनी पर्वतारोहण के प्रसिद्ध स्थल, विजयपुर, कांडा दर्शनीय स्थल तथा बागेश्वर जो सरयू व गोमती का संगम स्थल है, में बागनाथ का प्राचीन मन्दिर धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है।

जनपद पिथौरागढ में चौकोड़ी, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर तथा गंगोलीहाट में मॉ कालिका देवी मन्दिर, ध्वज में देवी का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। पिथौरागढ़, चण्डाक, थल केदार, नारायण आश्रम, मुनस्यारी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं।

जनपद चम्पावत में लोहाघाट मायावती आश्रम, बाणासुर का किला, श्यामलाताल, रीठासाहब

में सिक्खों का प्रसिद्व गुरूद्धारा तथा देवीधुरा में प्रसिद्ध बाराही मन्दिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरि में श्री पूर्णा देवी जी का मन्दिर स्थित है। चैत्र मास में एक माह का मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

मण्डल के प्रमुख पर्यटक स्थलो का वर्णन :– अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय कुमायूँ की प्राचीन इतिहास की झलक पाने के लिए आदर्श संग्रहालय है। जहॉ कत्यूर व चंद शासन काल की ऐतिहासिक वस्तुऐं व स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित दस्तावेज आदि प्रदर्शित हैं।

चितई मन्दिर कुमाऊॅ में ''गोल्लू'' का अति प्राचीन मन्दिर है। मान्यता हैं कि मन्नतें मांगने पर पूर्ण होती है तथा मन्नत पूर्ण होने पर मन्दिर में घंटी अर्पित की जाती है। इसलिए मन्दिर प्रांगण में असंख्य छोटी–बड़ी घंटियां टंगी हैं।

हिरन पार्क :– अल्मोड़ा से 3 किमी0 दूर नारायण तिवाड़ी देवाल नामक स्थान पर एक छोटा सा चिड़िया घर है। जहॉ हिरन, तेंदुआ, बाघ, भालू है।

अल्मोड़ा से 6 किमी0 दूर कलमटिया पहाड़ी की चोटी पर कसार देवी मन्दिर है। कई विदेशी पर्यटक यहॉ के शान्त वातावरण से वशीभूत होकर यहॉ रूकते हैं। अल्मोड़ा से 30 किमी0 दूर 2420 मी0 की ऊँचाई पर बिन्सर स्थित है, जहां से चौखम्भा, त्रिशूल, नन्दादेवी, शिवलिंग तथा पंचाचूली की हिमाच्छादित चोटियों का बहुत मनोरम दृश्य दिखता है। यहां काफी घना जंगल है जिसमें कई प्रकार के जानवर, पक्षी तथा फूल पाये जाते है इसके अतिरिक्त कोशी में कटारमल सूर्यमन्दिर स्थित है। कत्यूरी शासन द्वारा कटारमल में सूर्य मन्दिर का निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व किया गया है। इस मन्दिर की तुलना कोणाक्र के सूर्य मन्दिर से की जाती है। स्थानीय जनता का मुख्य आस्था केन्द्र जागेश्वर मन्दिर के प्रांगण में चन्दवंश के विभिन्न शासकों द्वारा 164 मन्दिर निर्मित कराये गये। यह मन्दिर अल्मोड़ा से 34 किमी0 दूर स्थित है। इनमें भगवान जागेश्वर, मृत्युंजय व पुष्टि देवी आदि

का मन्दिर चन्द्र कालीन स्थापत्य के नमूने हैं। चन्द्र राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर, जहॉ से हिमालय का विस्तृत श्रृंखलाओं का दृश्य दिखता है। जैसे केदारनाथ, चौखम्बा, त्रिशूल, नन्दादेवी, नन्दाकोट और पंचाचूली पर्वतों के अद्‌भुत दर्शन होते हैं। अल्मोड़ा का मनमोहक पर्यटक स्थल रानीखेत है। हिमालय दर्शन व सुहावनी जलवायु के कारण इसे हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। रानीखेत अपनी शौर्य गाथाओं के साथ छावनी क्षेत्र व कुमायॅू का मुख्य पर्यटक स्थल है। रानीखेत से 10 किमी0 चौबटिया एशिया का सबसे बड़ा फल उद्यान है।

बागेश्वर में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव स्थल भी है। पिण्डारी, कफनी, सुन्दरढूँगा जैसे ग्लेशियरों को ट्रेकिंग टूर यहॉ से जाते हैं। अल्मोड़ा से 53 किमी0 व बागेश्वर से 39 किमी0 की दूरी पर कौसानी प्राकृतिक सौन्दर्य व हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का केन्द्र है। सन् 1929 में कुमायॅू भ्रमण के दौरान महात्मा गॉधी जब कौसानी आये, तो उन्होंने इसे भारतवर्ष का स्विटजरलैण्ड कहा था। कौसानी से 17 किमी0 की दूरी पर स्थित बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित है।

नैनीताल एक विख्यात पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। प्राकृतिक झीलों का नैनीताल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाने के कारण इसे झीलों का जनपद भी कहा जाता है। पूर्व में नैनीताल जनपद में लगभग 60 झीलें थी। मानवीय छेड़छाड़ व प्राकृतिक कारणों से 60 झीलों के स्थान पर अब गिनीचुनी ही झीलें शेष हैं। फिर भी नैनीताल देश में अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ख्याति प्राप्त है तथा जिला एवं कुमायॅू मण्डल का मुख्यालय भी है। पर्यटन सीजन मार्च से जून तथा सितम्बर से अक्टूबर के अन्त तक रहता है। यहॉ पहॅुचने के लिए निकटस्थ रेलवे स्टेशन काठगोदाम व निकटस्थ हवाई अड्‌डा पन्तनगर (फूलबाग) है। नैनीताल से 22 किमी0 दूर भीमताल झील अपने सौन्दर्य व टापू के लिए प्रसिद्ध है तथा नैनीताल से 26 किमी0 की दूरी पर नौकुचियाताल, नैनीताल से 21

किमी0 की दूरी पर सातताल स्थित है जो प्रकृति की सौन्दर्यता को प्रसिद्ध करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पाक्र में रंग बिरंगे पक्षी और शेर, हाथी, भालू, नील गाय, चीता, चीतल जैसे वन्य जीव स्वछन्द बिहार करते हैं। कालाढूँगी से

4 किमी0 आगे नया गॉव में कार्बेट फाल भी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है।

अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैंची मन्दिर जहॉ नीम करौली महाराज आश्रम, हनुमान व अन्य देवताओं के मन्दिर आस्थावान भक्तों के केन्द्र हैं। यहॉ रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी है। जून माह की 15 तारीख को कैची धाम में नीम करौली महाराज के जन्म दिन पर विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

ऊधमसिंह नगर में नानकमत्ता सिक्खों के लिए आदरपूर्ण स्थान है। यहॉ का गुरूद्वारा, कुऑ व पीपल वृक्ष प्रसिद्ध है। यह विश्वास है कि यहॉ गुरू नानकदेव ने विश्राम किया था।

पिथौरागढ़ शहर से 7 किमी0 दूरी पर चण्डाक नामक स्थान से पिथौरागढ़ का विहंगम दृश्य दर्शनीय है। यहॉ मोस्टमानो मन्दिर में अगस्त माह में विशाल मेला आयोजित होता है। यहॉ मैग्नासाइड खनिज की खान व कारखाना है। पिथौरागढ़ से 18 किमी0 दूर ध्वज से हिमालय श्रृखलाओं के विस्तृत दर्शन होते हैं। शहर से 6 किमी0 की दूरी पर थल केदार में भगवान शिव का मन्दिर है। जहॉ शिव रात्रि मेला महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ से 77 किमी0 की दूरी पर गंगोलीहाट का महाकाली मन्दिर

देश के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। गंगोलीहाट से 6 किमी0 पर गुपतड़ी तथा वहॉ से 8 किमी0 पर पाताल भुवनेश्वर में गुफाओं का रहस्य व दैवीय संसार है। यहॉ महादेव व शेष नाग का निवास स्थान माना जाता है। गुफा में विभिन्न दैवी आकृतियों का निर्माण धार्मिक आस्था का कारण है। पिथौरागढ़ से 112 किमी0 व बेरीनाग से 9 किमी0 दूर देवदार, बॉज, बुराश के पेड़ों के बीच स्थित चौकोड़ी हिमालय के सुन्दर स्थानों में से एक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्वामी नारायण द्वारा स्थापित नारायण आश्रम अपने प्राकृतिक व शान्त सौन्दर्य का प्रतीक है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा मुनस्यारी तहसील मुख्यालय भी है। यहॉ से पंचाचूली शिखर का नया रूप दिखता है। जनपद चम्पावत में स्थित श्री पूर्णागिरी का मन्दिर भी लाखों श्रद्वालुओं की आस्था का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरी मन्दिर में प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर–दूर से कई श्रद्वालु आते है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मण्डल में जनपदवार उपलब्ध पर्यटन स्थल एवं पर्यटक आवास गृह तथा उनमें उपलब्ध शय्याओं का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पर्यटक स्थलों की संख्या	पर्यटक आवास गृहों की संख्या	पर्यटक आवास गृह/रैनबसेरों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1	अल्मोड़ा	4	12	410
2	बागेश्वर	25	12	372
3	नैनीताल	30	14	575
4	ऊधमसिंह नगर	13	2	30
5	पिथौरागढ़	24	9	294
6	चम्पावत	28	6	176
योग मण्डल		**124**	**55**	**1857**

उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनओं हेतु लाभार्थियों को 20 प्रतिशत मार्जन मनी का प्राविधान है।

वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यों हेतु राज सहायता दी जाती है :–

1. 8 से 10 कमरे युक्त होटलनुमा आवासीय इकाई की स्थापना।
2. मोटर वर्कशाप/मोटर गैराज की स्थापना।
3. बस/टैक्सी परिवहन सुविधा संचालन योजना।
4. साहसिक क्रियाकलाप हेतु उपकरण क्रय योजना।
5. साधनाकुटी एवं योगध्यान केन्द्रों का विकास।
6. स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्र।
7. टैन्ट आवासीय सुविधाओं की स्थापना।
8. पी0सी0ओ0 युक्त पर्यटक सूचना केन्द्र/रेस्टोरेन्ट का निर्माण।
9. फास्ट फूड केन्द्रों की स्थापना।

वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

माहः मार्च ,2014 **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य (अनन्तिम)	बैंको को प्रेषित प्रार्थना पत्र		बैंको द्वारा स्वीकृत प्रार्थना पत्र संख्या		बैंको द्वारा वितरित प्रार्थना पत्र	
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	अल्मोड़ा	43	60	882.45	38	395.49	38	215.82
2	बागेश्वर	27	74	242.05	50	139.84	50	139.84
3	पिथौरागढ़	42	63	199.65	31	85.22	31	85.22
4	चम्पावत	23	29	322.56	24	278.55	24	278.55
5	नैनीताल	50	100	486.58	36	131.25	36	131.25
6	ऊधमसिंह नगर	23	47	1236.08	23	473.30	23	473.30
योग कुमाऊँ		**208**	**373**	**3369.37**	**202**	**1503.65**	**202**	**1323.98**

अध्याय – 22

सेवायोजन

मण्डल के सभी जनपदों में एक सेवायोजना कार्यालय की स्थापना की गई है,

जिसमें जिला सेवायोजन अधिकारी कार्यरत होते हैं। विभाग द्वारा चलाये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनायें निम्न प्रकार हैं :–

1. बेरोजगार व्यक्तियों का रोजगार हेतु पंजीयन कराना।
2. व्यवसाय मार्ग निर्देशन का कार्य।
3. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्वतः रोजगार सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देना।
4. समाचार पत्रों के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी जानकारी देना।
5. शिक्षण मार्ग निर्देशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को रोजगार सहायता प्राप्त करने हेतु योग्य बनाना।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2013–14 में सेवायोजन कार्यालय द्वारा किये गये कार्य विवरण निम्न प्रकार रहा है :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सेवायोजन कार्यालयों की संख्या	जीवित पंजिका पर अभ्यर्थियों की संख्या	वर्ष में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	वर्ष में कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या
1	अल्मोड़ा	2	69653	14026	44
2	बागेश्वर	1	28140	7950	108
3	नैनीताल	4	84735	28258	93
4	ऊधमसिंह नगर	2	61469	21036	--
5	पिथौरागढ़	1	61765	15198	223
6	चम्पावत	1	19714	4543	100
योग मण्डल		**11**	**325476**	**91011**	**568**

अध्याय – 23

निर्बल वर्ग हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम

शैक्षिक उत्थान की योजनाएं

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करने हेतु छात्रवृत्ति योजनायें संचालित की जाती हैं।

अनुसूचित जाति का कल्याण

1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 :– अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उनके माता पिता/अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रू0 50.00 प्रति माह कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रू0 80.00 प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2013–14 में जनपद अल्मोड़ा में 27198, बागेश्वर में 15597, नैनीताल में 29940, ऊधमसिंह नगर में 88426, पिथौरागढ़ में 27162 तथा चम्पावत में 9489 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 197812 विद्यार्थियों को रू0 1427.61 लाख छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

2. पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9 एवं 10:– अनुसूचित जाति के कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके माता पिता की वार्षिक आय रू 2.00 लाख तक है, छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। छात्रवृत्ति डेस्कालर को रू. 150 एवं हास्टलर रू. 350 मासिक अधिकतम 10 माह के लिये अनुमन्य इसके अतिरिक्त तदर्थ अनुदान डेस्कालर को रू. 750 एवं हास्टलर को रू. 1000 वार्षिक दिये जाने को प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद अल्मोड़ा में 6096, बागेश्वर में 2657, नैनीताल में 6039, ऊधमसिंह नगर में 14135, पिथौरागढ़ में 5287 तथा चम्पावत में 1241 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 35455 विद्यार्थियों को रू0 765.55 लाख छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

3. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना :– अनुसूचित जाति के कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर, मेडिकल, इन्जीनियरिंग कक्षाओं तक अध्ययन छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। रू0 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के आवासीय छात्रों को न्यूनतम रू0 380.00 प्रतिमाह अधिकतम रू0 1200.00 तक तथा अनावासीय छात्रों को न्यूनतम रू0 230.00 प्रतिमाह अधिकतम रू0 550.00 प्रतिमाह दिये जाते है। छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया पूर्वदशम छात्रवृत्ति की भांति अपनायी जाती है। वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में 6269, बागेश्वर में 2714, नैनीताल में 8626, ऊधमसिंह नगर में 11946, पिथौरागढ़ में 5314 तथा चम्पावत में 1566 छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है। इस प्रकार मण्डल में कुल 36435 विद्यार्थियों को रू0 2149.54 लाख छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

4. अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति :– मैला उठाने, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसायों में संलग्न अभिभावकों/व्यक्तियों के बच्चों जो पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हों को छात्रवृत्ति एवं अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2013–14 में जनपद ऊधमसिंह नगर में 844 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है। इस प्रकार मण्डल में कुल 844 छात्र /छात्राओं को रू0 15.61 लाख छात्रवृत्ति वितरित की गयी है।

5. कक्षा 10 एवं कक्षा 12 कोचिंग :– हाईस्कूल तथा इण्टर के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजना भी विभाग द्वारा जनपद/तहसील स्तर के इण्टर कालेजों में संचालित की जाती है। दशवीं कक्षा के अध्यापकों को रू0 200.00 तथा इण्टर के अध्यापकों को रू0 300.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। वर्ष 2013–14में मण्डल द्वारा रू0 0.23 लाख का व्यय कर 3 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

6. अनुसूचित जातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना :– अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं/सिविल सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा

प्रशिक्षण योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाये जो कोचिंग प्रदान करते हैं के माध्यम से प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिग दिये जाने का प्राविधान है।

7. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय :– समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, अतिरिक्त भोजन, आवास, कपड़े, कापी, किताब आदि की सुविधायें निःशुल्क दी जाती हैं। कुमायूँ मण्डल में जनपद अल्मोड़ा में जैंती व ऊधमसिंह नगर में एक–एक बालकों के आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित हैं। वर्ष 2013–14 में जनपद अल्मोड़ा के जैंती में रू0 22.15 लाख, ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर में 60 लाभार्थियों पर रू0 43.07 लाख तथा जनपद नैनीताल में बेतालघाट में 99 लाभार्थियों पर रू0 59.41 लाख व्यय किये गये हैं।

8. अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास :– अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षाप्राप्त करने में सहयोग प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। कुमायूँ मण्डल में जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा, नैनीताल में पाइन्स, शहीद सैनिक स्कूल परिसर, पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शहर व चम्पावत में लोहाघाट में बालकों एवं पिथौरागढ़ में बालिकाओं के लिए एक छात्रावास स्थापित है। उक्त छात्रावासों में निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु जनपद नैनीताल–पाइन्स में 94 लाभार्थियों पर रू0 30.45 लाख, अल्मोड़ा में 48 लाभार्थियों पर रू0 15.73 लाख, पिथौरागढ़ में 98 लाभार्थियों पर रू0 15.38 लाख व्यय किया गया है। चम्पावत में रू0 12.13 लाख में से 48 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

9. अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों को आर्थिक सहायता :– सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न किये जाने पर अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अत्याचर से उत्पीड़ित व्यक्ति को समाज कल्याण अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी की संस्तुति पर आर्थिक सहायता प्रदान

किये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2013–14 में जनपद अल्मोड़ा में 9, बागेश्वर में 4, नैनीताल में 10, ऊधमसिंह नगर में 11, पिथौरागढ़ में 3 तथा चम्पावत में 1 उत्पीड़ित को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मण्डल में कुल 38 लोगों को रू0 22.47 लाख आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

10. गौरा देवी कन्याधन योजना (अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु):– बी0पी0एल0 परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रू 15976/– तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21206/– वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं को इण्टरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर गौरा देवी कन्याधन योजना में रू. 25000/– के राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक एफ.डी. के रूप में शिक्षा के रूप में प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदान की जाति है। वर्ष 2013–14 में जनपद नैनीताल में 768, अल्मोड़ा में 600, पिथौरागढ़ में 373, बागेश्वर में 238, चम्पावत में 121 तथा ऊधमसिंह नगर में 547 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मण्डल में कुल 2647 बालिकाओं को लाभान्वित कर रू0 662.25 लाख व्यय किया गया है।

11. अटल आवास योजना :– यह योजना अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु मण्डल में संचालित की जा रही है, जिस हेतु जनपद नैनीताल में 77, अल्मोड़ा में 73, पिथौरागढ़ में 115, बागेश्वर में 44, चम्पावत में 32 तथा ऊधमसिंह नगर में 109 आवासों का निर्माण किया गया। इस प्रकार मण्डल में 450 आवासों पर रू0 167.45 लाख व्यय किया गया।

पिछड़ी जातियों का कल्याण

1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति :– वर्ष 2013–14 में पिछड़ी जाति के कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत जनपद अल्मोड़ा में 2445, बागेश्वर 1730, नैनीताल में 2534, ऊधमसिंह नगर में 10416, पिथौरागढ़ में 2103 तथा चम्पावत में 798 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 22619 विद्यार्थियों को रू0 178.74 लाख छात्रवृत्ति वितरित की गयी।

2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति :– वर्ष 2013–14 में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को जनपद अल्मोड़ा में 1070, बागेश्वर में 202, नैनीताल में 2112, ऊधमसिंह नगर में 5530, पिथौरागढ़ में 1675 तथा चम्पावत में 749 छात्रवृत्ति वितरित की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 11338 छात्र/छात्राओं को रू0 706.03 लाख छात्रवृत्ति वितरित की गयी।

सामाजिक विकास हेतु कार्यक्रम

1. वृद्धावस्था पेंशन :– बृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1–1–2014 से पेंशन दर रु0 800/–प्रतिमाह तथा माह मार्च 2014 से मासिक आय रु0 4000/–प्रतिमाह की गयी हैं जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बृद्धजनों को 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग में रु0 200/–प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के बृद्धजनों को रु0 500/–प्रतिमाह इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय बृद्धावस्था पेंशन के रुप में सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा रु0 800/–प्रतिमाह के अन्तर्गत पेंशन का शेष अंश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2013–14 को अल्मोड़ा में 35419, बागेश्वर में 15699, नैनीताल में 19777, ऊधमसिंह नगर 33727, पिथौरागढ़ में 18970 तथा चम्पावत में 11335 व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन वितरित की गयी है। इस प्रकार कुमायूॅ मण्डल में 134927 व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की गयी है।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :– 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के आश्रित को एकमुश्त रू0 20,000/– की धनराशि अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

3. अन्य सहायता :– अनुसूचित जाति के निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु रू 50000.00 व बीमारी के इलाज हेतु रू0 10000.00 की सहायता समाज कल्याण के विभाग द्वारा दी जाती है। वर्ष 2013–14 में कुमायूॅ मण्डल में अल्मोड़ा में 28, बागेश्वर में 27, नैनीताल में 25, ऊधमसिंह नगर में 36, पिथौरागढ़ में 8 तथा चम्पावत में 23

निराश्रित विधवाओं की बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता प्रदान की गयी है। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में 147 निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान की गयी।

विकलांगों के कल्याणार्थ योजनायें

1. विकलांग छात्रवृत्ति :– मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के जिन विकलांग अभिभावकों की मासिक आय रू0 2000/–प्रतिमाह के अन्तर्गत है, उनके विकलांग बच्चों को जो अध्ययनरत हैं ,को विकलांग छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। वर्श 2013–14 में कक्षा 8 से ऊपर विकलांग छात्र/छात्राओं को जनपद बागेश्वर में 134, जनपद चम्पावत में 273 जनपद नैनीताल में 316, जनपद अल्मोड़ा में 156, जनपद पिथौरागढ़ में 237 एवं जनपद ऊधमसिंह नगर में 589 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

2. विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण यंत्र क्रय अनुदान :– वर्ष 2013–14 में जनपद अल्मोड़ा में 56, बागेश्वर में 34, नैनीताल में 27, ऊधमसिंह नगर में 65, पिथौरागढ में 33 तथा जनपद चम्पावत में 28 विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण यंत्र क्रय हेतु अनुदान दिया गया है। इस प्रकार मण्डल में 243 लाभार्थियों को रू0 10.01 लाख अनुदान दिया गया है।

3. विकलांग पेंशन :– मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांगजनों को, जिनकी मासिक आय रू0 4000/–प्रतिमाह से अधिक न हो, को रू0 800/– प्रतिमाह की दर से पेशन राज्य सरकार द्वारा दी जाती है जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बहुविकलांगता (80 प्रतिशत से अधिक) श्रेणी में आते हैं, के 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग में रु0 300/–प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के विकलांगजनों को रु0 500/–प्रतिमाह इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन के रुप में सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा रु0 800/–प्रतिमाह के अन्तर्गत पेंशन का शेष अंश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2013–14 में

जनपद अल्मोड़ा में 5012 बागेश्वर में 2142, नैनीताल में 3956, ऊधमसिंह नगर में 6049, पिथौरागढ़ में 2809 तथा जनपद चम्पावत में 1663 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गयी है। इस प्रकार मण्डल में कुल 21631 लाभार्थियों को रू0 1670.50 लाख भरण–पोशण हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

4. विकलांग दम्पत्तियों के शादी पर अनुदान :– विकलांगजनों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरूष में विकलांगता होने पर रू0 11000/– तथा युवती अथवा दोनों के विकलांग होने पर रू0 14000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2013–14 में जनपद अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 6, नैनीताल में 11, ऊधमसिंह नगर में 9, पिथौरागढ में 5 तथा चम्पावत में 0 विकलांग दम्पत्तियों के शादी पर अनुदान प्रदान किया गया है। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में कुल 38 विकलांग दम्पत्तियों को रू0 4.43 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है।

5. विकलांगजनों के कल्याण हेतु सेमिनारों का आयोजन :– वर्ष 2013–14 में नैनीताल में 1, अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 1, ऊधमसिंह नगर में 1, पिथौरागढ़ में 1 तथा चम्पावत में 3 सेमिनारों का आयोजन किया गया। जिस पर रू0 0.60 लाख व्यय किया गया है।

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों की यात्रा नियमावली 1998 के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर निःशुल्क यात्रा सुविधा भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सहयोगियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है।

महिला कल्याण की योजनायें

1. निराश्रित विधवा पेंशन :– 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवाओं को विधवा भरण पोशण अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1–1–2014 से पेंशन दर रु0 800/–प्रतिमाह तथा माह मार्च 2014 से मासिक आय रु0 4000/–प्रतिमाह की गयी हैं जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली निराश्रित विधवाओं को 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग में रु0 300/–प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को रु0 500/–प्रतिमाह इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के रुप में सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा रु0 800/–प्रतिमाह के अन्तर्गत पेंशन का शेष अंश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2013–14 में अल्मोड़ा में 11811, बागेश्वर में 4940, नैनीताल में 9909, ऊधमसिंह नगर में 14750, पिथौरागढ में 6970 तथा चम्पावत में 4153 निराश्रित विधवाओं को विधवा पेंशन वितरित की गयी है, इस प्रकार मण्डल में कुल 52522 लाभार्थियों को रू0 3126.26 लाख भरण–पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

2. विधवा पुनर्विवाह योजना :– ऐसे व्यक्तियों को जिसने 35 वर्ष से कम उम्र की विधवा से विवाह किया हो, तथा विवाह के एक वर्ष के अन्दर आवेदन किया हो तथा विधवा के साथ विवाह करते वक्त कोई जीवित पत्नी न होने का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदान किया गया हो, को आवेदन आवेदित करने पर समाज कल्याण विभाग द्वारा रू0 11000/– अनुदान जिलाधिकारी की स्वीकृति से प्रदान किया जाता है। वर्ष 2013–14 अल्मोड़ा में 1, ऊधमसिंह नगर में 2, पिथौरागढ़ में 2, चम्पावत में 1 तथा बागेश्वर में 1 व्यक्ति को अनुदान दिया गया है। इस प्रकार कुमायूॅ मण्डल में 7 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गयी है।

3. गौरा देवी कन्याधन योजना (सामान्य जाति की बालिकाओं हेतु) :– बी0पी0एल0 परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रू 15976/– तथा शहरी क्षेत्र में रू 21206/– वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं को इण्टरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर

गौरा देवी कन्याधन योजना में रू. 25000/– के राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक एफ.डी. के रूप में शिक्षा के रूप में प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदान की जाति है। वर्ष 2013–14 में जनपद नैनीताल में 2119, अल्मोड़ा में 2346, पिथौरागढ़ में 1087, बागेश्वर में 632, चम्पावत में 679 तथा ऊधमसिंह नगर में 1937 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मण्डल में कुल 8800 बालिकाओं को लाभान्वित कर रू0 2201.52 लाख व्यय किया गया है।

अल्प संख्यकों के कल्याणार्थ योजनायें

1. अल्प संख्यक छात्रवृत्ति (1 से 10 तक) :– वर्ष 2013–14 में जनपद अल्मोड़ा में 578, बागेश्वर में 221, नैनीताल में 13646, ऊधमसिंह नगर में 54382, पिथौरागढ़ में 495, चम्पावत में 785 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 70107 छात्र/छात्राओं को रू0 658.45 लाख छात्रवृत्ति वितरित की गयी है।

उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ावर्ग, विकलांग, महिला एवं सैनिक कल्याण के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का गठन 25 अक्टूबर 2001 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन किया गया है। निगम का प्रशासनिक विभाग समाज कल्याण विभाग है। निगम द्वारा निर्बल वर्ग के कल्याण हेतु चलायी जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

1. स्वतः रोजगार योजना :– यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे बीस सूत्री कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता (सूत्र संख्या 11 क) तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता (सूत्र संख्या 11 ख) मद नाम से सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15976.00 तथा शहरी क्षेत्र में

रू0 11206.00 कम वार्षिक आय वाले परिवारों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में रू0 20.00 हजार, रू0 70.00 हजार तक की परियोजनाओं के संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत/सरकारी ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निगम द्वारा योजना की लागत का 50 प्रतिशत या रू0 10000.00 जो भी कम हो अनुदान एवं रू0 20000.00 से बढ़ी लागत वाली योजना से अनुदान के अतिरिक्त योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जन मनी ऋण भी 4 प्रतिशत ब्याज पर निगम द्वारा दिया जाता है। लेकिन अनुदान तथा मार्जन मनी ऋण योजना लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में दी जाती है। सूत्र संख्या 10 ग में अनुसूचित जनजाति आर्थिक सहायता मद में वर्ष 2013–14 में जनपद अल्मोड़ा में 4, बागेश्वर में 12, नैनीताल में 29, ऊधमसिंह नगर में 646, पिथौरागढ़ में 117 तथा चम्पावत में 4 परिवारों को स्वतः रोजगार हेतु सहायता प्रदान की गयी है। सूत्र संख्या 10 (क) अनुसूचित जाति परिवारो को सहायता के अन्तर्गत अल्मोडा 785, बागेश्वर 393, नैनीताल 785, ऊधमसिंह नगर 856, पिथौरागढ 582, चम्पावत 222 परिवारो को स्वतः रोजगार हेतु सहायता प्रदान की गयी है।

2. स्वच्छकार विमुक्ति योजना :– अस्वच्छ पेशे में लगे स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के पुर्नवास एवं विमुक्ति हेतु भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का संचालन निगम द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य मैला ढोने जैसी कुप्रथा से स्वच्छकारों को विमुक्त कर उन्हें सम्मानजनक वैकल्पिक व्यवसाय हेतु ऋण दिलाकर आर्थिक व्यवसायों में विनियोजित करना है। व्यवसाय जिनमें दक्षता की आवश्यकता हो, में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है। प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें रू0 50000/– तक परियोजनाओं के संचालन हेतु ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें रू0 10000/– अनुदान एवं 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार इकाई न होकर व्यक्ति इकाई है।

3. शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना :– जिन अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के पास शहरी क्षेत्र/अर्द्ध शहरी क्षेत्र अथवा उपयुक्त व्यवसायिक स्थलों पर अपनी स्वयं की भूमि उपलब्ध है। उन्हें उस भूमि पर दुकान/विपणन केन्द्र बनाने हेतु रू0 38000/– का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें रू0 10000/– अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। अवशेष रू0 28000/– की वसूली 120 समान किस्तों में की जाती है। दुकान बनाने के पश्चात् उसे अपना व्यवसाय चलाने हेतु भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

4. प्रशिक्षण योजनाएं :– अनुसूचित जाति के युवक–युवतियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जैसे कम्प्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को निगम द्वारा वहन किया जाता है। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें। विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से 5 प्रतिशत धनराशि प्रशिक्षण पर व्यय करने का प्राविधान है।

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित कार्यक्रम :– अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत वाहन योजना, लघु व्यवसाय, लघु वित्त ऋण एवं विभिन्न प्रशिक्षण हेतु लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत योजना की लागत का 85 प्रतिशत ऋण एवं रू0 10000/– अनुदान एवं शेष धनराशि निगम की मार्जिन मनी ऋण द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा सीधा वित्त पोषण किया जाता है।

अध्याय – 24

शान्ति एवं कानून व्यवस्था

आम नागरिकों के सहयोग के बिना किसी भी सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर भयमुक्त वातावरण बनाना पुलिस की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को नागरिकों के सक्रिय सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है।

मण्डल के रैगुलर पुलिस क्षेत्र में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है।

उत्तराखण्ड मित्र पुलिस की अवधारणा को साकार करने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाने के प्रयास प्रशासन स्तर पर किये जा रहे हैं।

कुमायूँ मण्डल में वर्ष 2013–14 में जनपदवार पुलिस स्टेशन (थाना)

क्र0 सं0	मद	अल्मोड़ा	बागेश्वर	नैनीताल	ऊधम सिंहनगर	पिथौरागढ़	चम्पावत	मण्डल
पुलिस स्टेशन (थाना) संख्या								
1.	नगरीय	04	01	10	10	03	04	32
2.	ग्रामीण	04	03	02	02	10	03	24
	योग	08	04	12	12	13	07	56

अध्याय – 25

मण्डल की आर्थिक समस्यायें तथा सुझाव

कुमायूँ मण्डल का लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है। शेष 25 प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है। जो जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में पड़ता है। मैदानी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र है। विकास की गति प्रदेश के औसत गति की तुलना में अधिक है। मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र जिनमें जनपद चम्पावत का अधिकतर क्षेत्र व अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल का कुछ पर्वतीय आता है, उनमें आर्थिक विकास सम्बन्धी अनेक समस्यायें है, जिनके कारण यहॉ पर विकास की गति धीमी है।

कुमायूँ मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक समस्यायें निम्न हैं :–

1. इस क्षेत्र की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। इस क्षेत्र में अधिकांश भूमि वनों के अन्तर्गत तथा कृषि के लिए अयोग्य होने के कारण कृषि योग्य भूमि बहुत कम बची है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 27 प्रतिशत भूमि ही कृषि योग्य है। यही कारण है कि लगभग 75 प्रतिशत कृषकों के पास एक हैक्टेयर से कम भूमि है। जोतें सीढ़ी नुमा तथा बिखरी हुई हैं। सिंचाई साधनों की कमी के कारण अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। ऐसी स्थिति में परम्परागत कृषि मडुवा, सॉवा आदि मोटे अनाजों की खेती से ग्रामों का आर्थिक विकास में अवरोध सिद्ध हो रहा है।

2. पर्वतीय भू–भाग में उद्योग धन्धों का अभाव होने के कारण रोजगार के अवसर नगण्य है तथा इस कारण रोजगार की तलाश में मैदानी भाग की ओर श्रम शक्ति का तेजी से पलायन हो रहा है। पर्वतीय भू–भाग में विद्युत की अनियमित आपूर्ति उत्पादों के समुचित विपणन व्यवस्था न होना भी प्रमुख समस्या है।

3. जीवन जल से जुड़ा है। पर्वतीय भू–भाग में पेयजल श्रोतों के सूखजाने अथवा जल स्तर कम हो जाने से ग्रीष्म काल में पेयजल एक प्रमुख समस्या बन जाती है।

4. पर्वतीय भू–भाग में पर्यटन की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, परन्तु अधिकांश पर्यटक स्थलों के लिए आवागमन के अच्छे साधन, ठहरने एवं भोजन हेतु अच्छे होटलों का अभाव होने के कारण पर्यटकों के आकर्षित नहीं होने से पर्यटन स्थलों का आर्थिक विकास में भी योगदान नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

1. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय अधिकांश महिलाओं पर आधारित है। कृषि के सम्बन्ध में निर्णय भी महिलाओं द्वारा लिया जाता है। जोखिम लेने से बचने तथा कृषि की नई तकनीकों एवं उन्नत किस्म के बीजों की जानकारी न होने के कारण कृषि जोतें छोटी–छोटी, बिखरी तथा असिंचित होने के कारण परम्परागत कृषि कार्य ही अधिकांश क्षेत्रों में हो रहा है। अतः अधुनान्त कृषि तकनीक के सम्बन्ध में महिलाओं को प्रशिक्षित करना, कृषि उत्पादन के विपणन की जगह सुविधायें उपलब्ध कराना, कर उन्नत कृषि तथा औद्यानिकी तथा बेमौसमी सब्जियों, पुष्पों तथा जड़ी बूटियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा कृषि को उपयोगी बनाने के प्रयास कारगर हो सकते हैं।

2. पर्वतीय क्षेत्रों में Low Volume High Cost वाली औद्योगिक उत्पादकों की इकाईयों को प्रोत्साहित कर औद्योगिकीकरण की पहल की जाने से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर श्रम शक्ति के पलायन पर रोक लगाया जा सकता है। अतः Low Volume High Cost वाली औद्योगिक इकाईयों तथा सुविधायुक्त क्षेत्रों की पहचान के लिए कार्य दलों का गठन कर सार्थक प्रयास हो सकते हैं।

3. पर्वतीय भू–भाग में पेयजल स्रोतों पर जल संरक्षण के कार्य विशेष, कार्य योजना तैयार कर स्थानीय जनता में जागरूकता प्रदान कर जन सहयोग किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जल स्रोतों के आस पास बॉज, उतीस के पौध का रोपण, ट्रंचिग खोद कर वर्षा के पानी को रोक कर जल संरक्षण का कार्य करने से पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। भूमि एवं जल संरक्षण योजना तथा जलागम

योजना में यह कार्य किया भी जा रहा है। ऐसे कार्यों के प्रभावों का भी समय समय पर अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

4. भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु अभी तक दूरस्थ स्थित पर्यटन स्थलों पर सुविधायें व्यापक स्तर पर उपलब्ध न होने के कारण अधिकांश पर्यटक नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी आदि चुने स्थानों पर जाते हैं। अतः दूरस्थ स्थित पर्यटक स्थलों के लिए आवागमन तथा निवास की सुविधाओं पर ध्यान देकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। पर्यटक सुविधाओं के लिए मध्यम वर्ग के पर्यटकों को भी ध्यान में रखने से पर्यटकों की संख्या को बढाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि स्थानीय व्यक्तियों द्वारा टूरिस्ट गाइड का कार्य किया जाय तो इससे पर्यटन को बढावा मिलने के साथ ही मण्डल में रोजगार के नये अवसर भी बढेगें।

,,,